अध्याय-I

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विहंगावलोकन

अध्याय-I: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के 2024-25 के वित्त का एक आशुचित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और इसकी राजकोषीय संरचना शामिल हैं। यह राजस्व और व्यय, ऋण स्तरों और राजकोषीय घाटों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है, निरंतर असंतुलन और उधारी पर निर्भरता को उजागर करता है। इस अध्याय में उच्च प्रतिबद्ध व्यय, निवेश पर कम प्रतिफल, सब्सिडी का भार, वित्तीय स्थिरता आदि जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा

दिल्ली, उत्तरी भारत में मुख्य रूप से एक गैर-कृषि क्षेत्र है, जो 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 11 जिले और लगभग 112 गांव (2011 की जनगणना के अनुसार) शामिल हैं। भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमानों 2011-2036 के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2025 के लिए (1 अक्टूबर) अनुमानित जनसंख्या 2.24 करोड़ थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 1.5 *प्रतिशत* है, जिसका घनत्व 13,871 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

1.1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की जनसांख्यिकी

राष्ट्रीय औसत की तुलना में रा.रा.क्षे. दिल्ली का जनसांख्यिकीय विवरण नीचे **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: रा.रा.क्षे. दिल्ली की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

जनसांख्यिकीय संकेतक	दिल्ली	राष्ट्रीय औसत
ग्रामीण जनसंख्या (*प्रतिशत*) *(भारत की जनगणना 2011)*	2.50	68.86
शहरी जनसंख्या (*प्रतिशत*) *(भारत की जनगणना 2011)*	97.50	31.14
जनसंख्या घनत्व *(भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036)*	13,871 प्रति वर्ग कि.मी.	414 प्रति वर्ग कि.मी.
प्रति 1,000 पुरुषों पर लिंग अनुपात *(भारत की जनगणना, 2011)*	882	947

जनसांख्यिकीय संकेतक	**दिल्ली**	**राष्ट्रीय औसत**
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर *(नमूना पंजीकरण प्रणाली, सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020)*	14.00	25.00
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर *(मातृ मृत्यु दर बुलेटिन)*	0.45	0.88
कुल प्रजनन दर *(एनएफएचएस-5, 2019-21)*	1.62	1.99
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा *(जनसंख्या अनुमान 2020 पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट)*	74.20	70.30
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या *(बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023, नीति आयोग)*	16.96 लाख	3,600 लाख
साक्षरता दर *(एनसीएस रिपोर्ट, 2012-18)*	86.90 *प्रतिशत*	80.90 *प्रतिशत*

कलर कोड: लाल रंग तनाव को दर्शाता है जबकि हरा रंग राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है

1.1.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) और प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. रा.रा.क्षे.दि.स. की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं जैसा कि अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.

सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, जबकि स.रा.घ.उ. राज्य/रा.रा.क्षे. स्तर पर इसे मापता है और दोनों आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। स.रा.घ.उ. और स.घ.उ. की प्रवृत्तियां **तालिका 1.2** में दी गई हैं। स.रा.घ.उ. और स.घ.उ. की वर्ष-वार वृद्धि और स.घ.उ. में स.रा.घ.उ. का योगदान **चार्ट 1.1** में दिया गया है और देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. और रा.रा.क्षे.दि. के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: भारत के स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ.[1] की प्रवृत्तियां (वर्तमान मूल्यों पर)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भारत का स.घ.उ. *(₹ लाख करोड़ में)*	137.72	153.92	170.90	189.00	201.03	198.54	235.97	268.90	301.23	330.68
दिल्ली का स.रा.घ.उ. *(₹ लाख करोड़ में)*	5.51	6.16	6.78	7.38	7.93	7.44	8.71	10.00	11.13	12.15
स.घ.उ. में स.रा.घ.उ. का हिस्सा *(प्रतिशत में)*	4.00	4.01	3.97	3.91	3.95	3.75	3.69	3.72	3.69	3.67
भारत का प्रति व्यक्ति स.घ.उ. *(₹ में)*	1,07,341	1,18,489	1,30,061	1,42,424	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,451	2,15,935	2,34,859
दिल्ली का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. *(₹ में)*	2,97,410	3,26,005	3,51,663	3,75,656	3,95,763	3,64,592	4,18,551	4,71,691	5,15,520	5,52,726

कलर कोड: हरा रंग राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ., स.घ.उ. और स.घ.उ. में स.रा.घ.उ. के हिस्से की वर्ष-वार वृद्धि दर

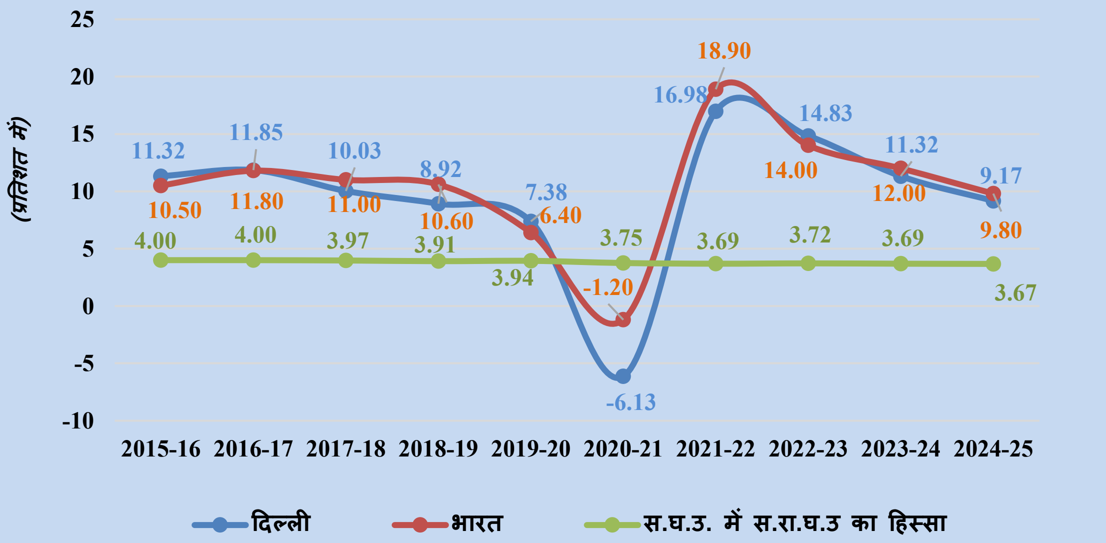

---

[1] **स.रा.घ.उ.**: 2020-21 और 2021-22 के लिए वास्तविक आंकड़े; 2022-23 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई), 2023-24 के लिए त्वरित अनुमान (क्यूई) और 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान (एई) **स.घ.उ.**: 2020-21, 2021-22 और 2023-24 के लिए वास्तविक आंकड़े; एफआरई: 2023-24 के लिए प्रथम परिशोधित अनुमान और पीई: 2024-25 के लिए अनंतिम अनुमान।

चार्ट 1.2: भारत का प्रति व्यक्ति स.घ.उ. और दिल्ली का स.रा.घ.उ.

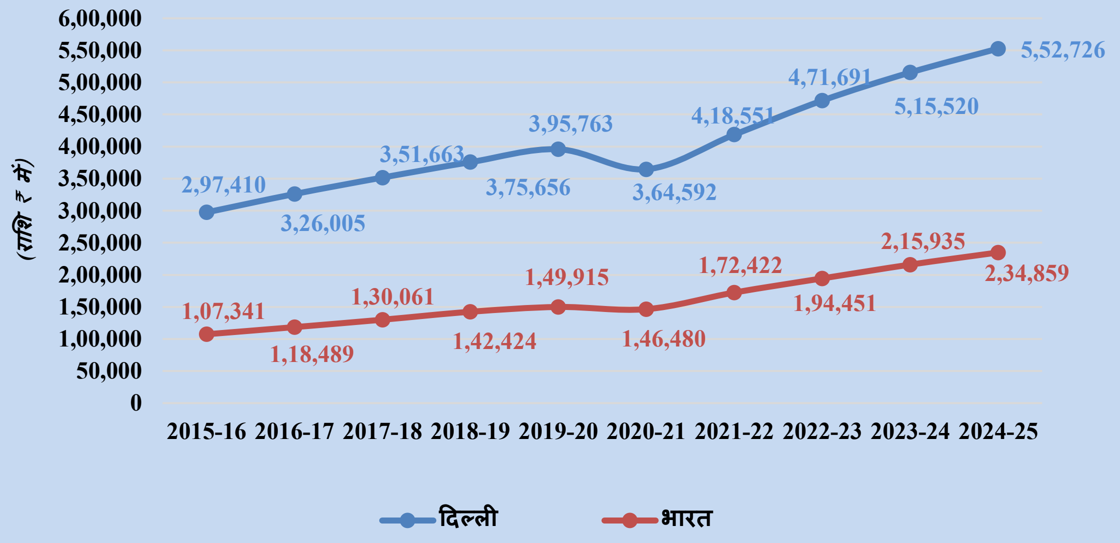

वित्त वर्ष 2024-25 में स.रा.घ.उ. और स.घ.उ., वर्तमान मूल्यों पर, क्रमशः ₹ 12.15 लाख करोड़ और ₹ 330.68 लाख करोड़ था। स.रा.घ.उ. (वर्तमान मूल्यों पर) वित्त वर्ष 2015-16 में ₹ 5.51 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 12.15 लाख करोड़ हो गया, जिसमें 8.23 *प्रतिशत* की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई।

पिछले दस वर्षों के दौरान दर्ज किए गए स.घ.उ. में स.रा.घ.उ. का योगदान कुल मिलाकर घटता हुआ दिखा, यह 2015-16 के 4 *प्रतिशत* से घटकर 2024-25 में 3.67 *प्रतिशत* रह गया **(चार्ट 1.1)**। यह दर्शाता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. की वृद्धि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. हमेशा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति स.घ.उ. से अधिक रहा और 2024-25 के दौरान यह राष्ट्रीय औसत से 135.34 *प्रतिशत* अधिक था **(चार्ट 1.2)**। यह मुख्य रूप से दिल्ली की अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव के कारण है, जिसमें आमतौर पर प्रति व्यक्ति उत्पादकता अधिक होती है **(चार्ट 1.3)**।

इसके अतिरिक्त, 2015-2025 की अवधि के दौरान सीएजीआर द्वारा मापी गई प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि (6.39 *प्रतिशत*), इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति स.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि (8.14 *प्रतिशत*) से कम रही। इसका

प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. जो 2015-16 में देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. से 177.07 *प्रतिशत* अधिक था, 2024-25 के अंत में घटकर 135.34 *प्रतिशत* हो गया। यह देश के शेष भागों की अपेक्षा रा.रा.क्षे.दि. की थोड़ी धीमी आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है।

1.1.2.2 स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय योगदान

2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रीय योगदान और पिछले दस वर्षों के दौरान स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः **चार्ट 1.3** और **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: वर्ष 2024-25 में स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय योगदान

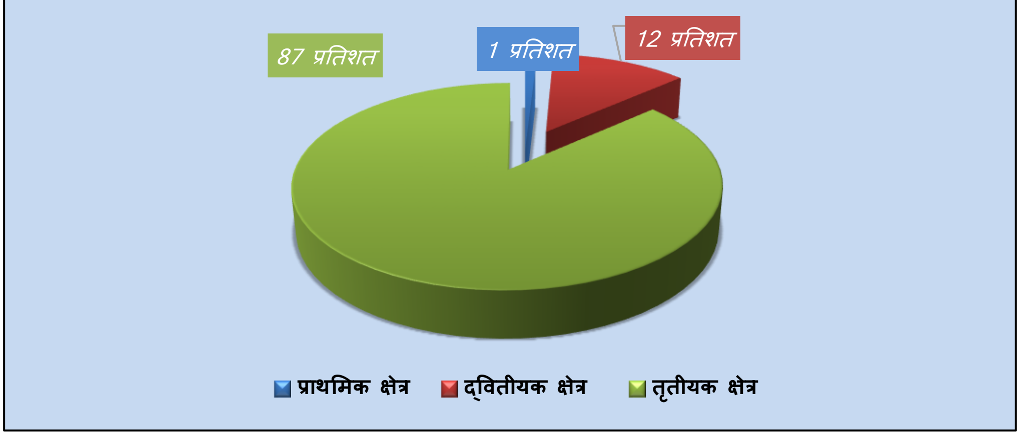

चार्ट 1.4: पिछले कुछ वर्षों में स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय वृद्धि

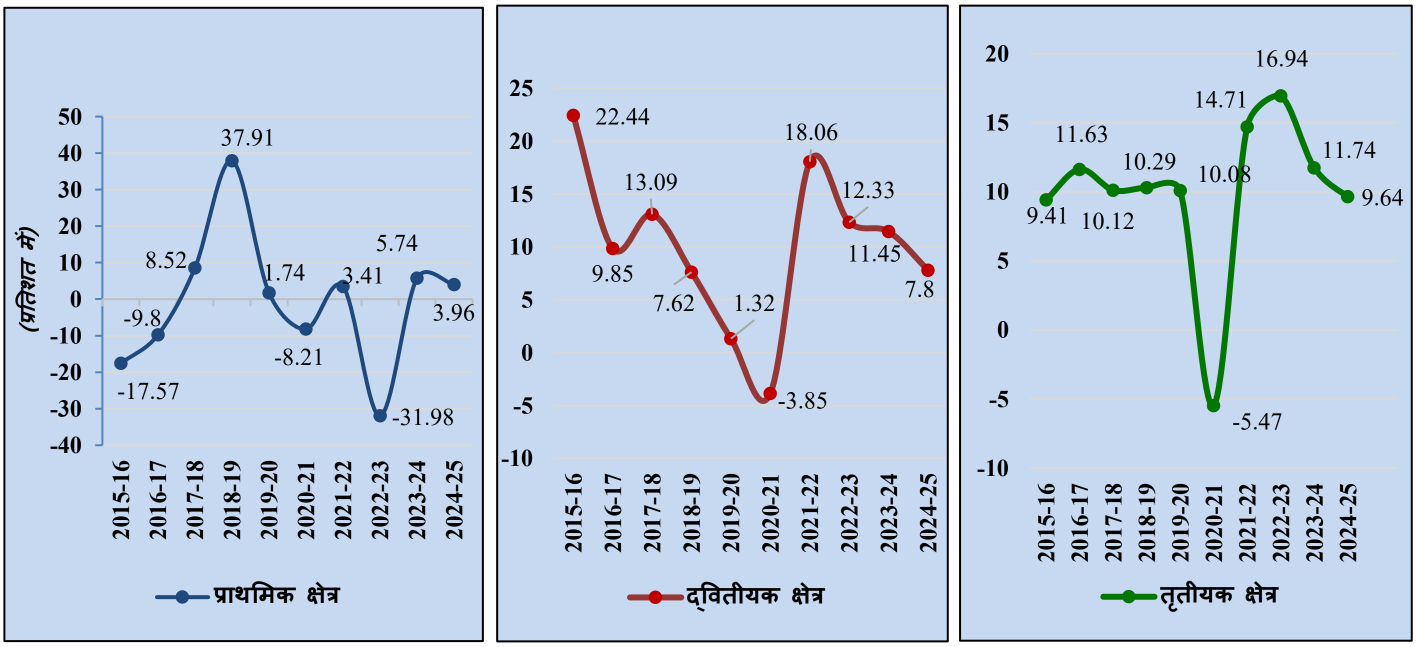

स्रोत: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. और एमओएसपीआई

सभी तीनों क्षेत्रों में स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान गिरावट दर्ज की गई **(चार्ट 1.4)**।

चार्ट 1.5: क्षेत्र-वार वितरण, वित्त वर्ष 2024-25

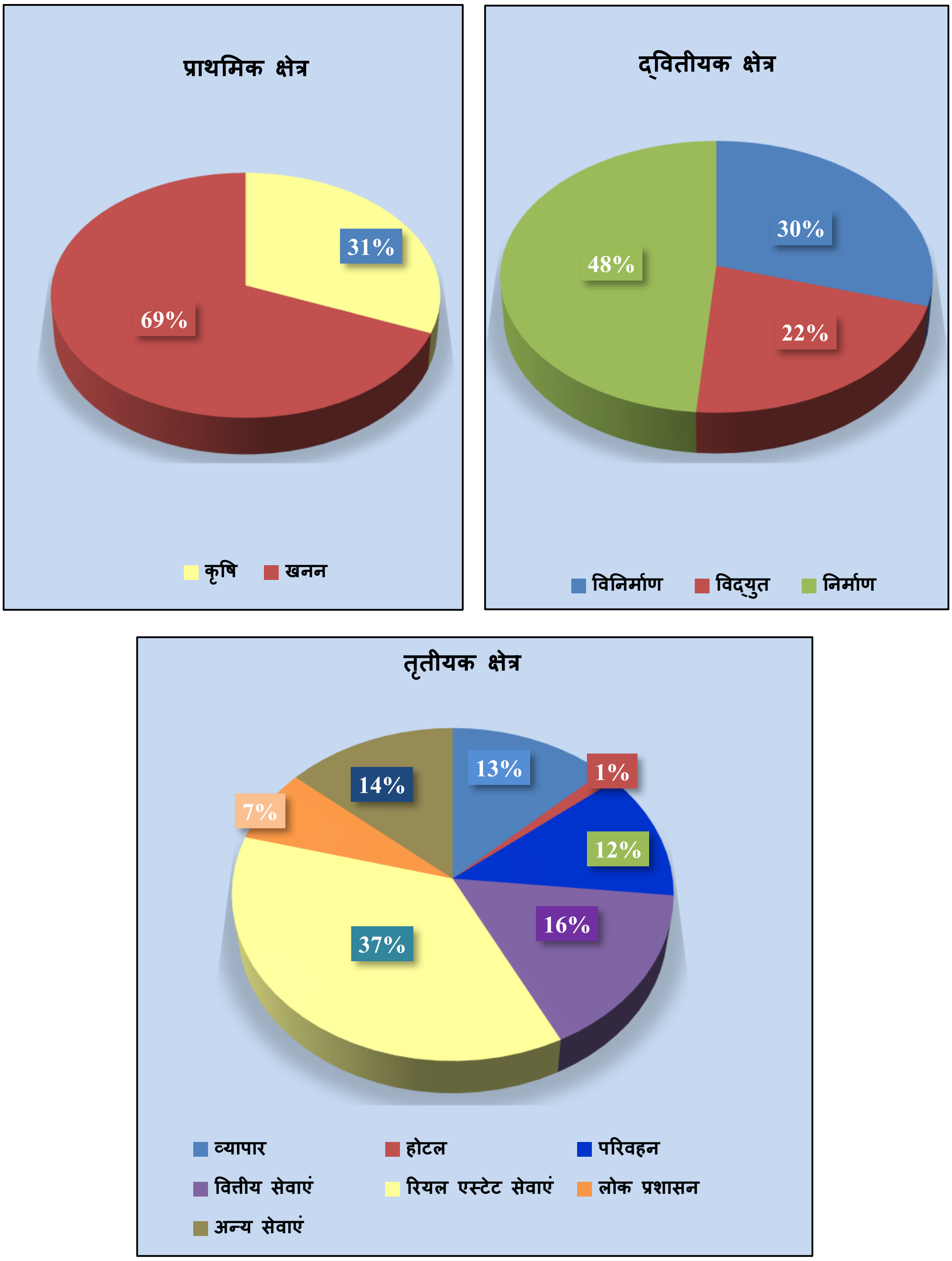

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.5 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र की संरचना को उसके प्रमुख योगदान वाले क्षेत्रों के संदर्भ में दर्शाता है।

यह पाया गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा-उन्मुख बनी हुई है, जिसमें तृतीयक क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा (87 *प्रतिशत*) है। सेवाओं के अंतर्गत, रियल एस्टेट सेवाओं (37 *प्रतिशत*) का प्रभुत्व स्पष्ट है, जो दिल्ली की स्थिति को एक वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में दर्शाता है। इस क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर स्थिरता और निरंतर विकास दिखाया है, जिससे यह स.रा.घ.उ. विस्तार का प्रमुख चालक बन गया है।

द्वितीयक क्षेत्र निर्माण द्वारा संचालित है, जो इस क्षेत्र के उत्पादन का लगभग आधा भाग है, जो विकास का समर्थन करने में रियल एस्टेट और अवसंरचना विकास के महत्व को दर्शाता है। विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र का योगदान मध्यम है, और इनकी भागीदारी काफी हद तक स्थिर बनी हुई है।

प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम है, जिसमें खनन[2] इसके पहले से ही छोटे आधार का बड़ा भाग है। कृषि का नगण्य भाग दिल्ली के शहरी स्वरूप और सीमित कृषि योग्य भूमि के अनुरूप है।

1.1.3 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वास्तविक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बीई), परिशोधित अनुमान (आरई) और स.रा.घ.उ. का विवरण दर्शाया गया है।

[2] यद्यपि दिल्ली में कोई खान नहीं है, खनन प्राप्तियां दिल्ली में स्थित खनन कंपनियों के मुख्यालय में स्थित कर्मचारियों की आय से संबंधित हैं।

तालिका 1.3: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	घटक	2023-24 (वास्तविक आंकड़े)	2024-25			2024-25 बीई की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता	2024-25 स.रा.घ.उ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता
			(बीई)	(आरई)	(वास्तविक आंकड़े)		
1.	कर राजस्व	53,681	58,750	59,200	59,458	101.21	4.89
(i)	स्वयं कर राजस्व	53,681	58,750	59,200	59,458	101.21	4.89
(ii)	केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा	0	0	0	0	0	0.00
2.	गैर-कर राजस्व	1,024	1,000	600	911	91.10	0.07
3.	सहायता अनुदान और अंशदान	2,093	4,392	3,219	1,864	42.44	0.15
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**56,798**	**64,142**	**63,019**	**62,233**	97.02	5.12
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	98	379	43	48	12.66	0.00
6.	उधारी और अन्य देयताएं*	3,934	10,000	3,980	(-)5,724	(-)57.24	(-)0.47
7.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)**	**4,032**	**10,379**	**4,023**	**(-)5,676**	(-)54.69	(-)0.47
8.	**कुल प्राप्तियां (4+7)**	**60,830**	**74,521**	**67,042**	**56,557**	75.89	4.65
9.	**राजस्व व्यय**	**50,336**	**60,911**	**54,706**	**49,986**	82.06	4.11
10.	ब्याज भुगतान @	3,094	2,666	2,666	2,666	100.00	0.22
11.	पूंजीगत व्यय	6,855	5,919	4,857	3,695	62.43	0.30
12 (क)	ऋण एवं अग्रिम	3,639	4,256	5,023	2,876	67.58	0.24
12 (ख)	लोक ऋण	4,994	4,914	4,914	4,914	100.00	0.40
13.	**कुल व्यय (9+11+12(ए))**	**60,830**	**71,086**	**64,586**	**56,557**	79.56	4.65
14.	**राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (4-9)**	**6,462**	**3,231**	**8,313**	**12,247**	379.05	1.01
15.	**राजकोषीय अधिशेष (+)/ घाटा (-) {(4+5)-(13)}**	**(-)3,934**	**(-)6,565**	**-1,524**	**5,724**	-87.18	0.47
16.	**प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष(+) (10+15)**	**(-)840**	**(-)3,899**	**1,142**	**8,390**	(-) 215.13	0.69

कलर कोड: लाल पिछले वर्ष की तुलना में तनाव को दर्शाता है

स्रोत: वित्त लेखे

**उधारी और अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) + प्रारंभिक शेष और अंत शेष राशि का निवल।*

@ क्रम संख्या 9 में दर्शाए गए राजस्व व्यय में शामिल है

पूंजीगत व्यय वर्ष 2023-24 के ₹ 6,855 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-25 में घटकर ₹ 3,695 करोड़ रह गया है। यह गिरावट विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय में कमी के कारण हुई, जैसे मुख्य शीर्ष 5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के ₹ 1,936.14 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 909.30 करोड़, मुख्य शीर्ष 5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के ₹ 1,448 करोड़ से घट कर 2024-25 में ₹ 390 करोड़ और मुख्य शीर्ष 4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति-सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के ₹ 637.43 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 263.97 करोड़। वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त संबंधी विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

1.1.4 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

चालू वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना **चार्ट 1.6 और चार्ट 1.7** में दी गई है।

(₹ करोड़ में)

चार्ट 1.6: वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों के स्रोतों का विवरण

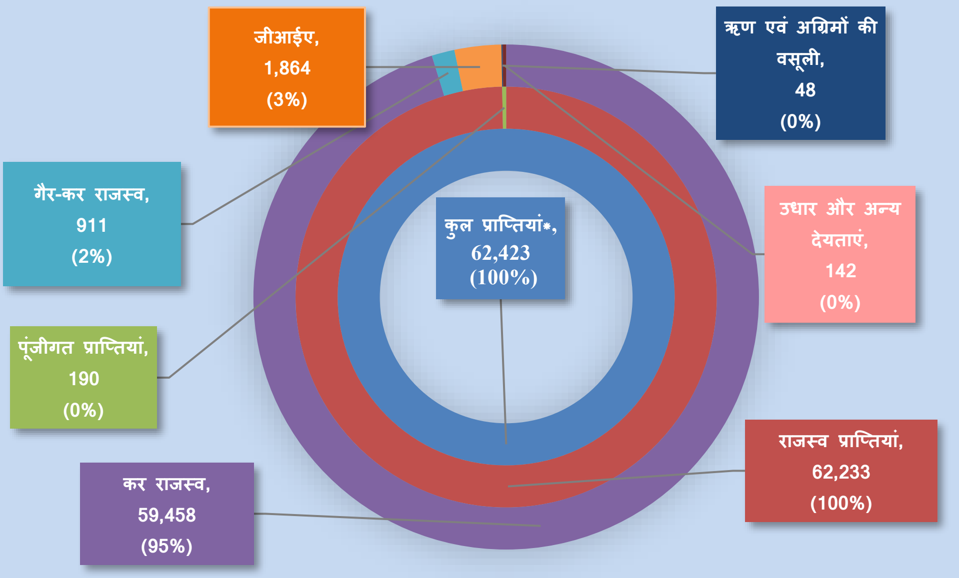

स्रोत: वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स.

* *ऊपर दिए गए ग्राफ में दर्शाई गई कुल प्राप्तियां तालिका 1.3 से इसलिए भिन्न हैं क्योंकि इसमें समेकित निधि के प्रारंभिक तथा अंतिम शेषों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही ऋण प्राप्तियों को पूर्ण रूप से लिया गया है न कि उन्हें समायोजित किया गया है।*

(₹ करोड़ में)

चार्ट 1.7: वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों के अनुप्रयोग का विवरण

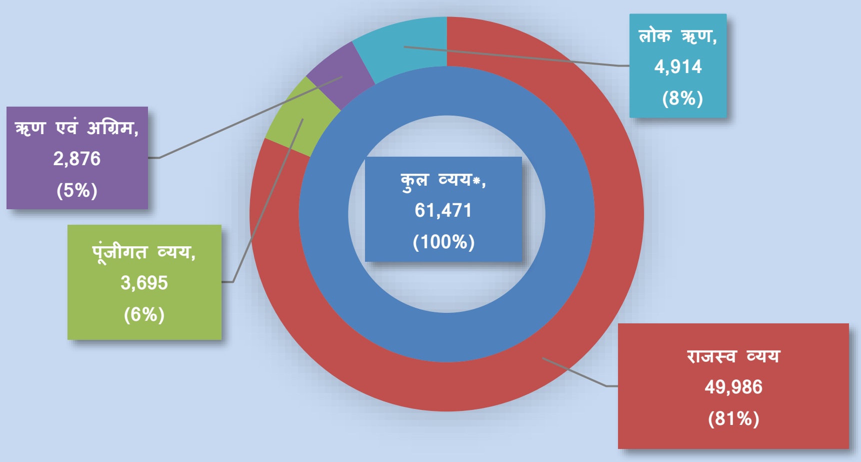

स्रोत: वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स.

** ₹ 4,914 करोड़ के लोक ऋण को शामिल करने के कारण कुल व्यय तालिका 1.3 से भिन्न है।*

परिशिष्ट 1.2 में पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों और संवितरणों तथा समग्र राजकोषीय स्थिति का विवरण दिया गया है।

उपर्युक्त मापदंडों का विश्लेषण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

1.1.5 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

सरकारी लेखाओं में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों का विवरण दर्ज होता है। **परिशिष्ट 1.3** में 31 मार्च 2025 तक की ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसकी तुलना पिछले वर्ष की इसी स्थिति से की गई है। देयताओं में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय का शेष, 1994-95 के दौरान महा लेखा नियंत्रक से अंगीकार किए गए ऋणों और अग्रिमों का शेष, भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम तथा राजस्व लेखाओं में संचित अधिशेष शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से सकल पूंजीगत व्यय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और भारत सरकार के सामान्य नकद शेष के साथ विलय किए गए अंत शेष शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
विवरण		2023-24	2024-25	*प्रतिशत* वृद्धि/कमी	विवरण		2023-24	2024-25	*प्रतिशत* वृद्धि/कमी
समेकित निधि									
क	भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम*	47,387.00	42,614.00	(-)10.07	क	सकल पूंजीगत व्यय	98,215.00	1,01,910.00	3.76
ख	1994-95 के दौरान सीजीए से अपनाए गए पूंजीगत परिव्यय का संतुलन	1,588.00	1,588.00	0	ख	ऋण एवं अग्रिम	77,821.00	80,649.00	3.63
ग	1994-95 के दौरान सीजीए से अपनाए गए ऋण एवं अग्रिमों का शेष	3,356.00	3,356.00	0	ग	अंतशेष का भारत सरकार के सामान्य नकद शेष के साथ विलय कर दिया गया	5,523.00	6,474.00	17.22
आकस्मिकता निधि		**100.00**	**100.00**	**0**					
घ	राजस्व लेखाओं में संचयी अधिशेष	1,29,128.00	1,41,375.00	9.48					
कुल		**1,81,559.00**	**1,89,033.00**	**4.12**		**कुल**	**1,81,559.00**	**1,89,033.00**	**4.12**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

** इसमें ₹ 12,058 करोड़ (2020-21 में ₹ 5,865 करोड़ और 2021-22 में ₹ 6,193 करोड़) के बैक-टू-बैक ऋण शामिल हैं।*

1.2 रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त सभी धन, रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि का हिस्सा बनता है।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

दस वर्ष की अवधि (2015-25) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि को **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियां	34,999	34,346	38,667	43,113	47,136	41,864	49,313	62,703	56,798	62,233
कर राजस्व	30,226	31,140	35,717	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363	53,681	59,458
स्वयं कर राजस्व (क)	30,226	31,140	35,717	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363	53,681	59,458
गैर-कर राजस्व (ख)	515	381	766	644	1,097	980	827	581	1,024	911
भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान	4,258	2,825	2,184	5,844	9,473	11,459	8,467	14,759	2,093	1,864
रा.रा.क्षे.दि.स. का स्वयं राजस्व (क+ख)	30,741	31,521	36,483	37,269	37,663	30,405	40,846	47,944	54,705	60,369
स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला) (लाख करोड़ में)[3]	5.51	6.16	6.78	7.38	7.93	7.44	8.71	10.00	11.13	12.15
वृद्धि दर										
राजस्व प्राप्तियां	18.30	(-)1.86	12.58	11.50	9.34	(-)11.18	17.79	27.15	(-)9.42	9.57
रा.रा.क्षे.दि.स. का स्वयं कर राजस्व	13.61	3.02	14.70	2.54	(-)0.16	(-)19.53	36.00	18.35	13.34	10.76
स.रा.घ.उ.	11.32	11.85	10.03	8.92	7.38	(-)6.13	16.98	14.83	11.32	9.17
उत्प्लावकता अनुपात										
रा.रा.क्षे.दि.स. के स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता	1.20	0.26	1.46	0.28	(-)0.02	3.18	2.12	1.24	1.18	1.17

कलर कोड: लाल छायांकन तनाव का प्रतीक है

स्रोत: राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

क्यू-त्वरित अनुमान और ए-अग्रिम अनुमान

स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों के योगदान को **चार्ट 1.8** और **चार्ट 1.9** में दिया गया है।

[3] **स.रा.घ.उ.:** 2020-21 और 2021-22 के लिए वास्तविक आंकड़े; 2022-23 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई), 2023-24 के लिए त्वरित अनुमान (क्यूई) और 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान (एई) **स.घ.उ.:** 2020-21, 2021-22 और 2023-24 के लिए वास्तविक आकड़े; एफआरई: 2023-24 के लिए पहला परिशोधित अनुमान और पीई: 2024-25 के लिए अनंतिम अनुमान।

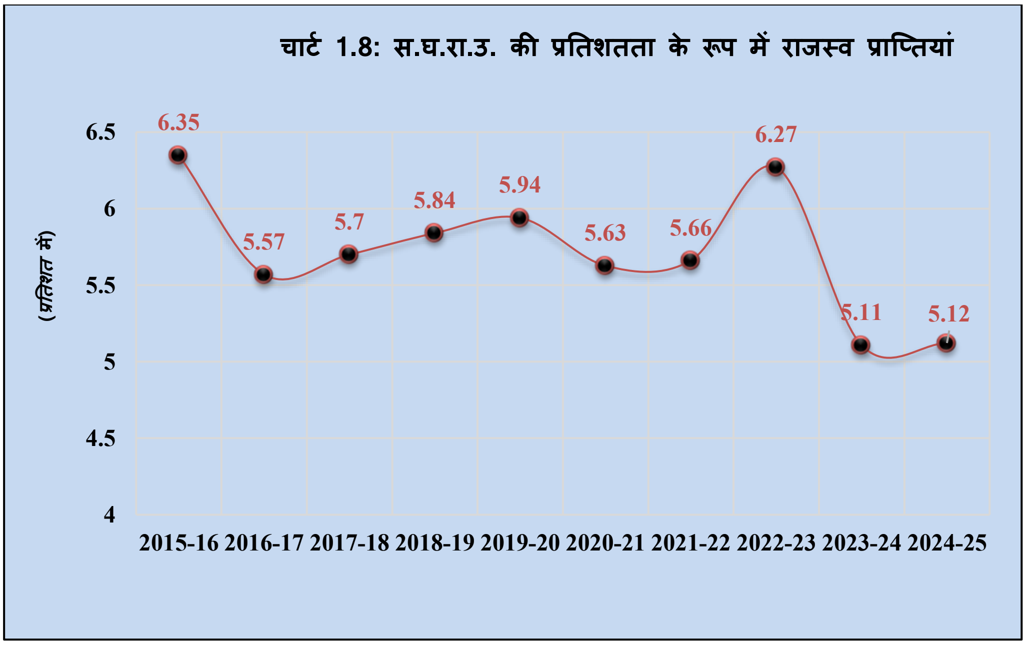

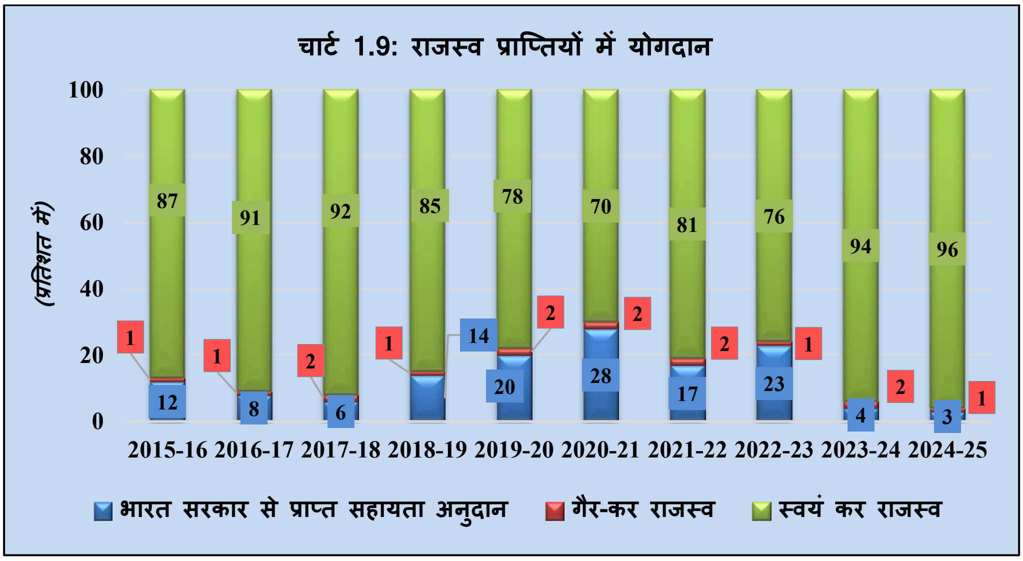

चार्ट 1.8 और **तालिका 1.5** से यह देखा गया है कि दस वर्षों की अवधि के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 5.92 *प्रतिशत* की सीएजीआर की वृद्धि हुई। स्वयं राजस्व प्राप्तियां 2015-16 में ₹ 30,741 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 60,369 करोड़ हो गईं, जो कि 6.98 *प्रतिशत* की सीएजीआर की वृद्धि है। यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां निरपेक्ष रूप से बढ़ रही हैं, लेकिन वृद्धि दर (वर्ष 2021-22 में महामारी के बाद हुई रिकवरी को छोड़कर), पिछले वर्ष की गिरावट से थोड़ा सुधार हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता में ह्रास हुआ है और यह 1.17 पर है।

इसके अतिरिक्त, स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों में 2015-16 में 6.35 से 2024-25 में 5.12 तक थोड़ी गिरावट देखी गई है, जो मुख्य रूप से स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर में मंदी, केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों में कमी आदि के कारण है। यह इस तथ्य का संकेतक भी है कि सरकार अपनी राजस्व सृजन क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ा रही है, लेकिन यह रा.रा.क्षे.दि.स. की समग्र वृद्धि दर को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, **चार्ट 1.9** रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियों में योगदान के संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में भारी गिरावट एवं गैर-कर राजस्व और स्वयं कर राजस्व में मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाता है।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में गिरावट मुख्य रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति में कमी (₹ 774.8 करोड़ (68.10 *प्रतिशत*)) के कारण है।

क. रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं संसाधन

चार्ट 1.10: रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं राजस्व का विवरण

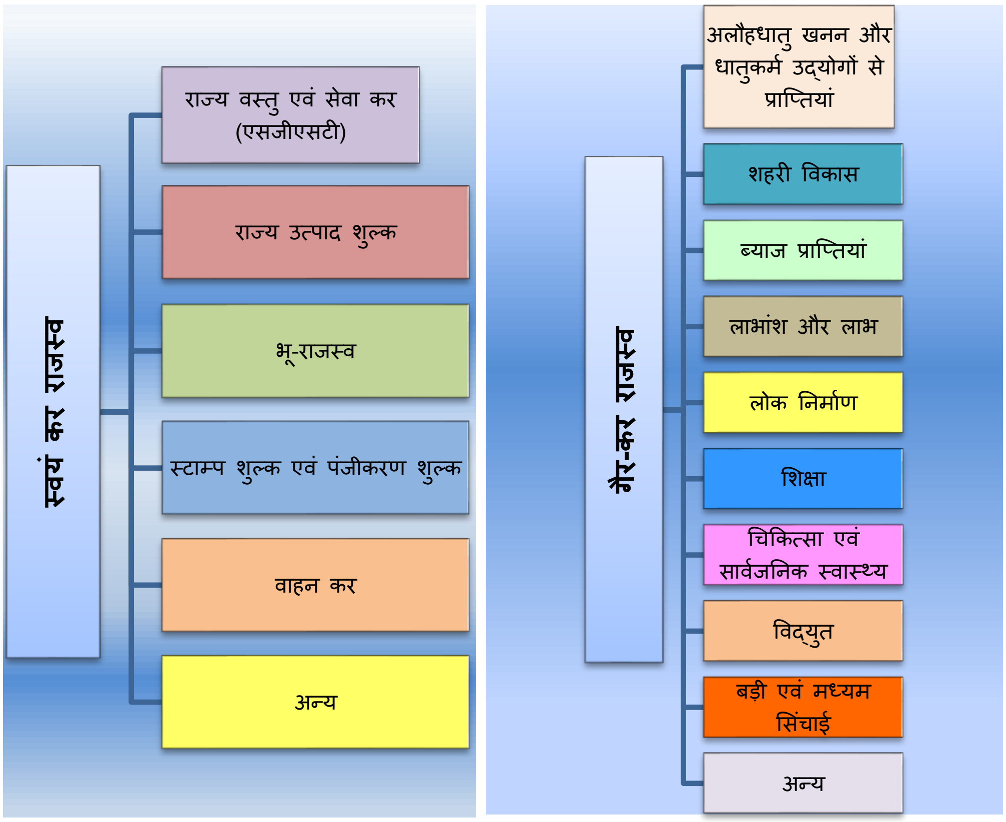

(i) स्वयं कर राजस्व

स्वयं कर राजस्व वह राजस्व है जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संविधान के अंतर्गत लगाए जाने के लिए अधिकृत करों के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक आंकड़े, बजट अनुमान (बीई), परिशोधित अनुमान (आरई), और वित्त वर्ष 2024-25 के स्वयं कर राजस्व के वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: स्वयं कर राजस्व: वित्त वर्ष 2023-24 (वास्तविक आंकड़े) और वित्त वर्ष 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक आंकड़े)

(₹ करोड़ में)

स्वयं कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक आकंड़े)	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2024-25 (वास्तविक आंकड़े)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	31,571	34,000	35,499	35,623
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,551	7,000	7,200	7,241
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	7,152	7,750	7,600	7,651
राज्य उत्पाद शुल्क	5,164	6,400	5,600	5,701
वाहन कर	3,242	3,600	3,300	3,241
अन्य	1	-	1	1
कुल	**53,681**	**58,750**	**59,200**	**59,458**

स्रोत: दिल्ली के वित्त लेखे और बजट दस्तावेज

चालू वर्ष के दौरान कुल स्वयं कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,777 करोड़ (10.77 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। मुख्य बढ़ोत्तरी एसजीएसटी के अंतर्गत (₹ 4,052 करोड़: 12.84 *प्रतिशत*), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 537 करोड़: 10.40 *प्रतिशत*), स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क (₹ 499 करोड़: 6.98 *प्रतिशत)* और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 690 करोड़: 10.54 *प्रतिशत)* प्राप्तियों में हुई। रा.रा.क्षे.दि.स. का स्वयं कर राजस्व बजट अनुमान से ₹ 708 करोड़ (1.21 *प्रतिशत)* अधिक हो गया, जो मुख्य रूप से एसजीएसटी संग्रह में ₹ 1,623 करोड़ (4.78 *प्रतिशत)* की अधिकता के कारण था। रा.रा.क्षे.दि.स. का स्वयं कर राजस्व वर्ष 2024-25 के परिशोधित अनुमानों से भी ₹ 258 करोड़ अधिक रहा।

2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्वयं कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तियां क्रमशः **चार्ट 1.11** और **चार्ट 1.12** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.11: वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वयं कर राजस्व

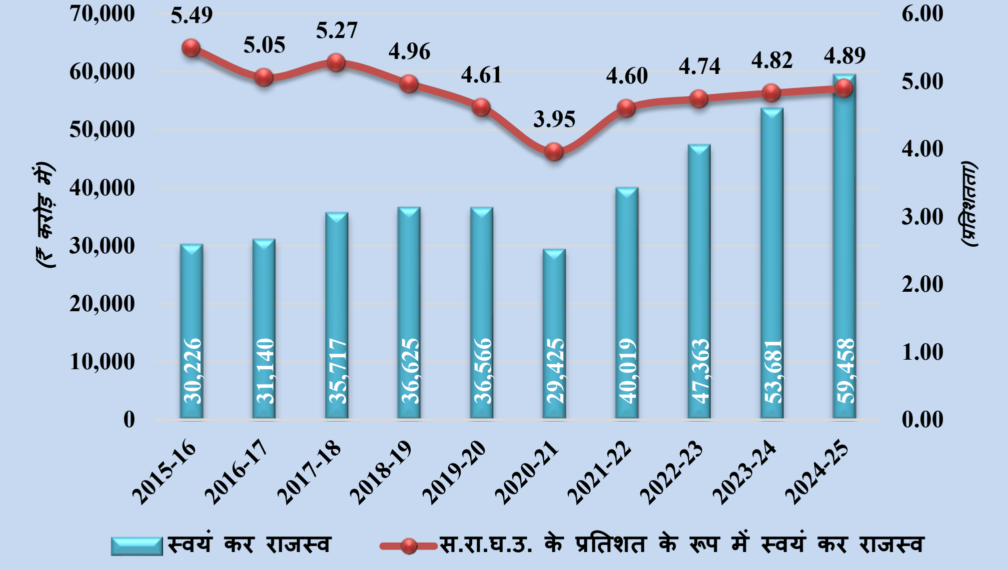

स्रोत: स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए वित्त लेखे और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चार्ट 1.12: रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

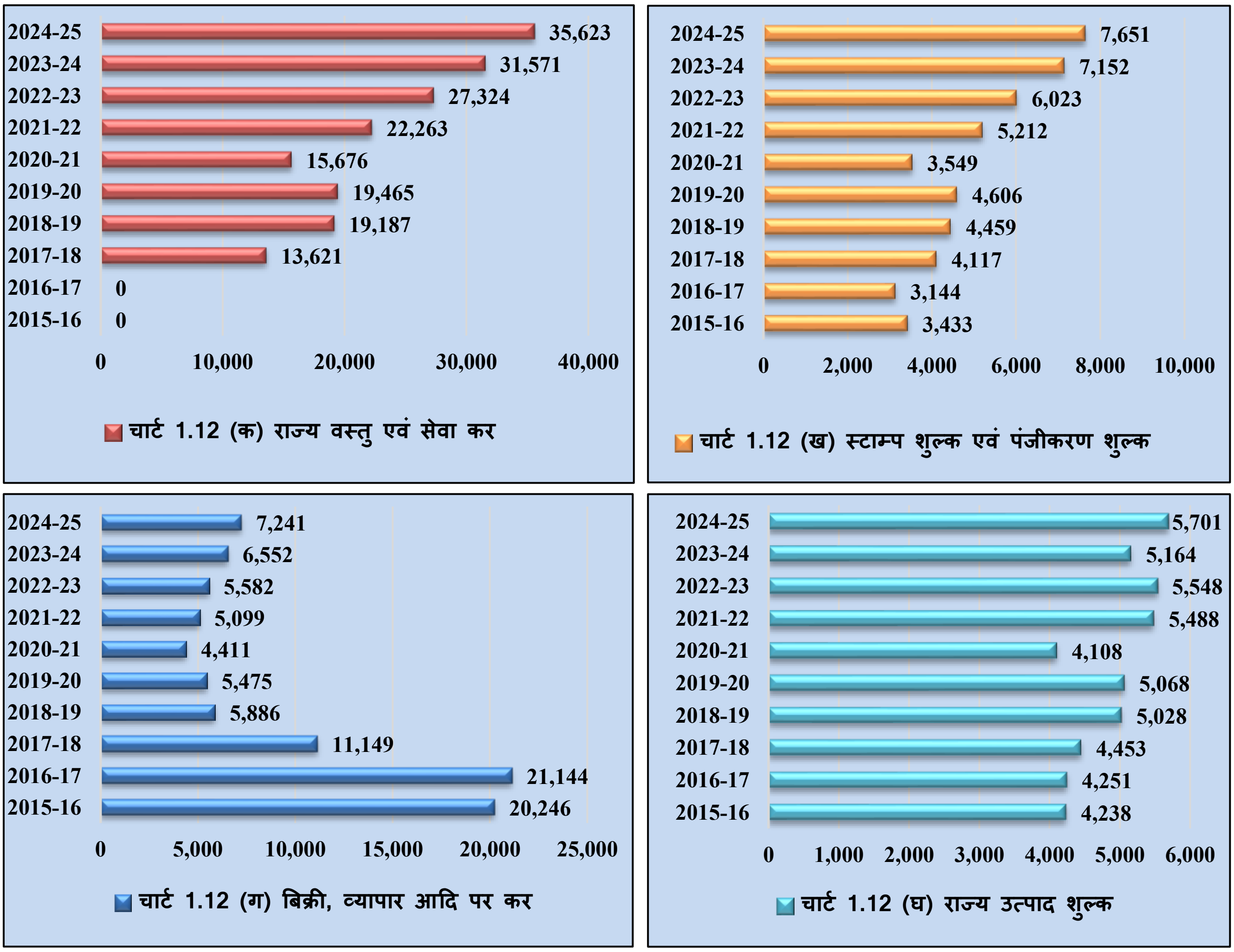

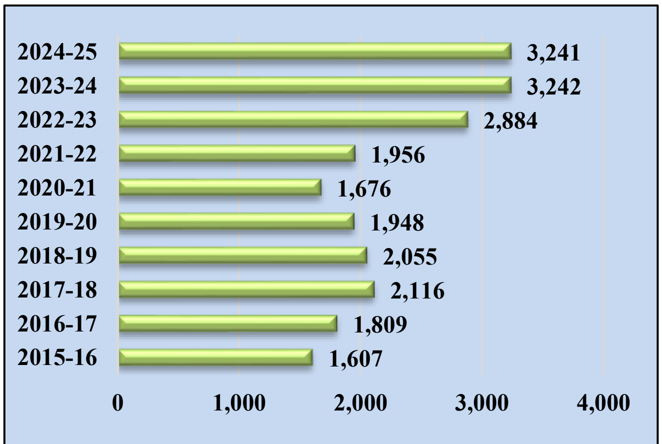

चार्ट 1.12 (ङ) वाहनों पर कर

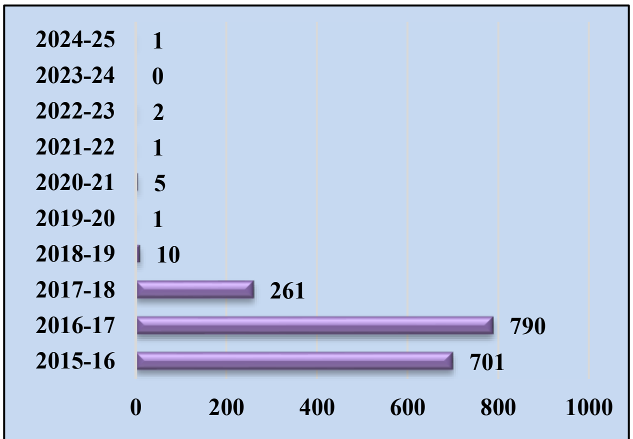

चार्ट 1.12 (च) अन्य

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.12 से यह देखा जा सकता है कि महामारी के बाद मजबूत आर्थिक सुधार, कर अनुपालन में सुधार और रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि जैसे विभिन्न कारकों के कारण 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान दिल्ली के स्वयं कर राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। दिल्ली के स्वयं कर राजस्व के घटकों में वृद्धि का श्रेय व्यापार एवं कर विभाग द्वारा की गई कई पहलों को जाता है।

(ii) गैर-कर राजस्व

किसी केंद्र शासित प्रदेश के गैर-कर राजस्व से तात्पर्य रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले किराए, शुल्क, रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियों से है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक आंकड़े, बजट अनुमान (बीई), परिशोधित अनुमान (आरई), और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गैर-कर राजस्व के वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.7** में दिए गए हैं।

तालिका 1.7: प्रमुख गैर-कर राजस्व: 2023-24 (वास्तविक आंकड़े) और 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक आंकड़े)

(₹ करोड़ में)

गैर-कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक आंकड़े)	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2024-25 (वास्तविक आंकड़े)
शिक्षा	95	46	8	186
लाभांश और लाभ	175	106	70	160
ब्याज प्राप्तियां	376	439	162	156
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	120	147	123	149
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	111	120	113	118
विद्युत	59	46	42	64
अन्य	88	96	81	78
कुल	**1,024**	**1,000**	**599**	**911**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कुल गैर-कर राजस्व में ₹ 113 करोड़ (11.04 *प्रतिशत*) की कमी आई, जो मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 220 करोड़ (58.51 *प्रतिशत*) की कमी के कारण थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ब्याज की कम वसूली (₹ 219.60 करोड़: 64.73 *प्रतिशत*) के कारण थी। रा.रा.क्षे.दि.स. का गैर-कर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 89 करोड़ (8.90 *प्रतिशत*) कम है, लेकिन परिशोधित अनुमानों की तुलना में ₹ 312 करोड़ (52.09 *प्रतिशत*) अधिक है, जो कर और केंद्रीय अंतरण पर कम निर्भरता को दर्शाता है।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तियों को क्रमशः **चार्ट 1.13** और **चार्ट 1.14** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.13: गैर-कर राजस्व में प्रवृत्ति

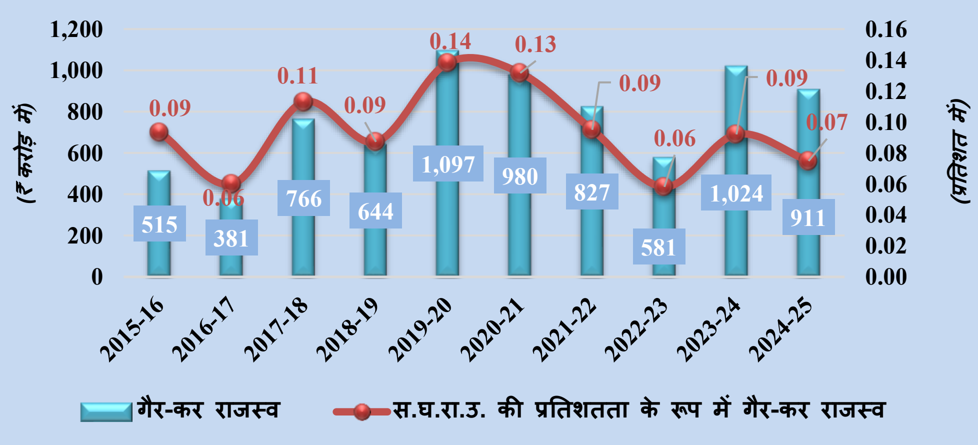

स्रोत: स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चार्ट 1.14: रा.रा.क्षे.दि.स. के गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

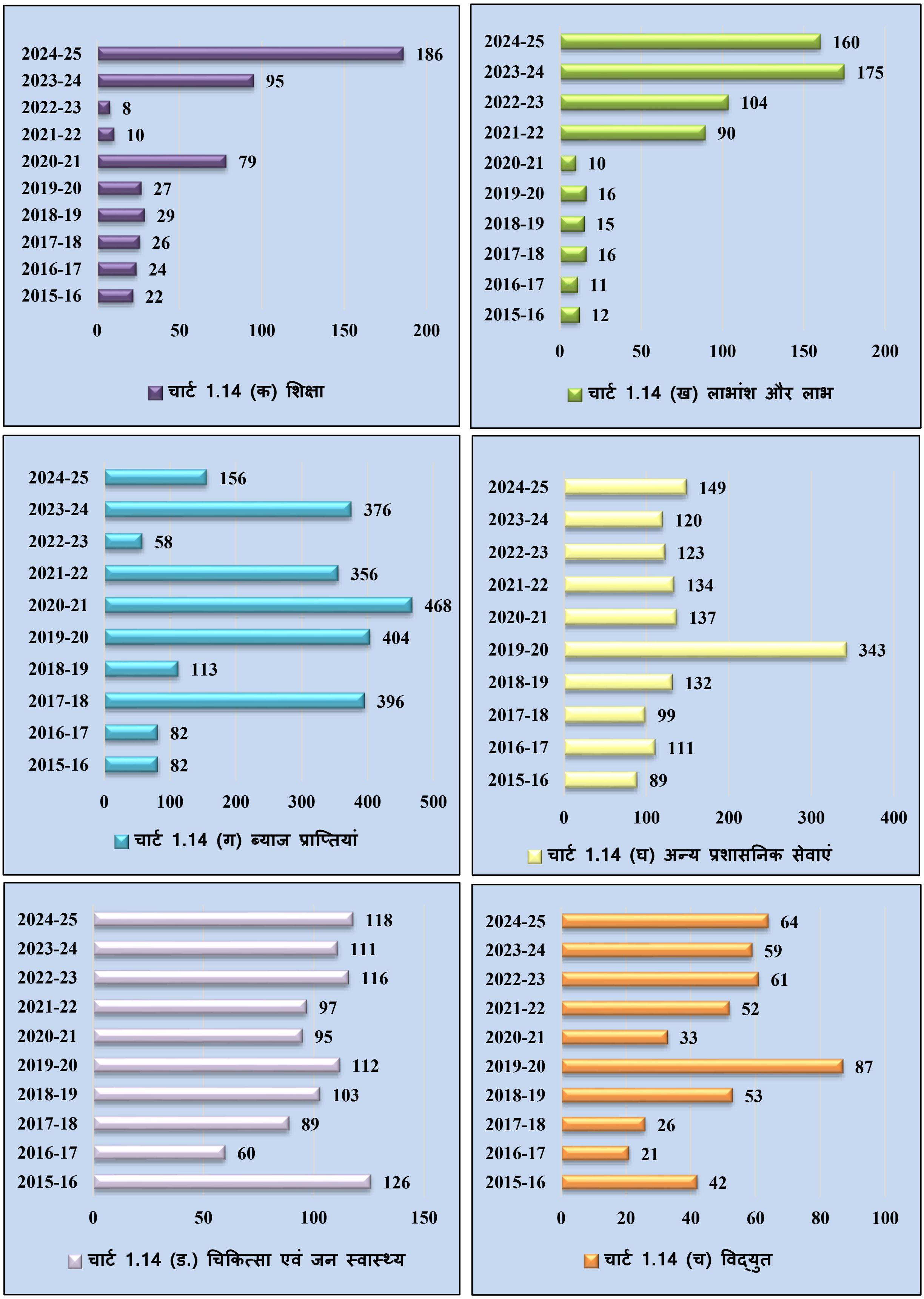

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कम लाभांश प्राप्त होने के कारण पिछले वर्षों की तुलना में 2024-25 के दौरान लाभांश के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी आई।

2024-25 के दौरान शिक्षा की प्राप्तियों में वृद्धि 'खेल और युवा सेवाओं' (₹ 146.80 करोड़) से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के कारण थी।

ख. भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (जीआईए) और इसके घटकों की प्रवृत्ति **तालिका 1.8** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.8: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	866	1,156	995	807	1,169	1,442	992	982	955	1,486
विधानमंडल वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	3,392	1,669	1,189	5,037	8,304	10,017	7,475	13,777	1,138	378
कुल	**4,258**	**2,825**	**2,184**	**5,844**	**9,473**	**11,459**	**8,467**	**14,759**	**2,093**	**1,864**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 1.8 से पता चलता है कि 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त जीआईए में 7.92 *प्रतिशत* की सीएजीआर की कमी आई है। 2024-25 के दौरान राज्य को प्राप्त अन्य अंतरणों में ₹ 363 करोड़ का जीएसटी मुआवजा और प्राकृतिक आपदाओं के राहत कार्य के लिए अग्रिम सहायता (₹ 15 करोड़) शामिल हैं। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान जीआईए में ₹ 229 करोड़ (10.95 *प्रतिशत)* की कमी आई, जिसका मुख्य कारण जीएसटी मुआवजे में ₹ 775 करोड़ (68.10 *प्रतिशत*) की कमी थी। जीएसटी अधिनियम, 2017 में 'सनसेट क्लॉज' के कारण, राजस्व में हुई हानि के लिए राज्य सरकारों को दिया जाने वाला जीएसटी मुआवजा जून 2022 में समाप्त हो गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान जीआईए में गिरावट के पीछे जीएसटी मुआवजे में कमी प्रमुख कारण रही है। राजस्व प्राप्तियों में जीआईए का योगदान 2015-16 के 12 *प्रतिशत* से घटकर 2024-25 में 3 *प्रतिशत* हो गया।

भारत सरकार द्वारा स.रा.घ.उ. में सहायता अनुदान का प्रतिशत **चार्ट 1.15** में दिया गया है।

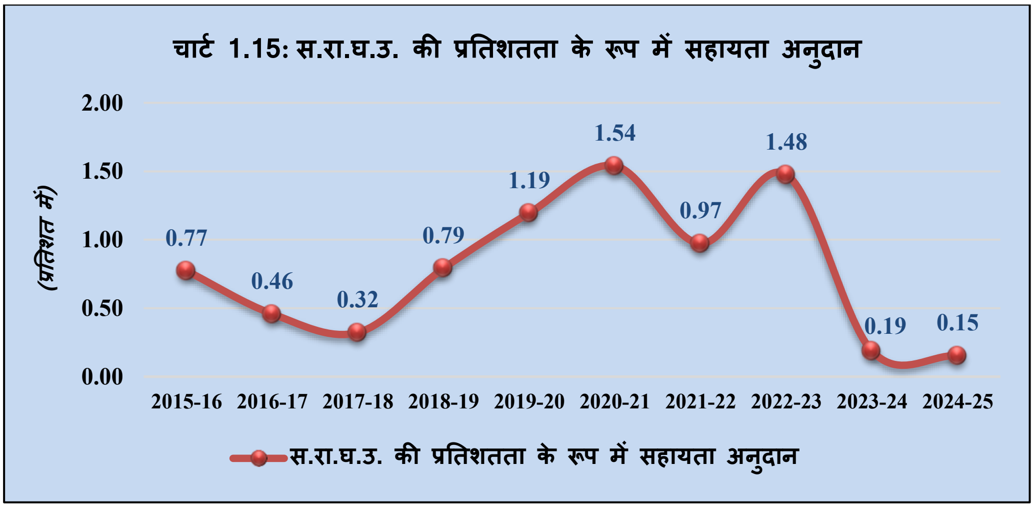

स.रा.घ.उ. में सहायता अनुदान के घटते प्रतिशत का कारण 2015-25 के दौरान जीआईए में 42.78 *प्रतिशत* की गिरावट और स.रा.घ.उ. में 120.59 *प्रतिशत* की वृद्धि है।

(i) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आबंटित ₹ 1,486.02 करोड़ के अनुदान में से, प्रमुख आबंटन **तालिका 1.9** में दर्शाई गई योजनाओं के लिए किए गए थे।

तालिका 1.9: ₹ 100 करोड़ से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएं

क्रम सं.	योजना का नाम	2023-24 राशि *(₹ करोड़ में)*	2024-25 राशि *(₹ करोड़ में)*	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
1	समग्र शिक्षा	146.09	385.39	163.81
2	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	235.31	181.63	(-)22.81
3	राज्य एजेंसियों को खाद्यान्नों की अंतः राज्यीय आवाजाही के लिए सहायता और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिरण (एनएफएसए) के अंतर्गत खाद्यान्न डीलरों को मार्जिन	0	175.18	गणना नहीं की जा सकती
4	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल	81.42	167.93	106.25
5	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस-आंगनवाड़ी सेवाएं एडोलोसेंट गर्ल्स के लिए पोषण अभियान योजना राष्ट्रीय क्रेच योजना)	161.82	160.41	(-)0.87

1.2.2 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं जैसे कि ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों और इसके घटकों की प्रवृत्तियां **तालिका 1.10** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.10: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण और गैर-ऋण)	2,324	1,908	2,597	4,524	5,588	15,996	11,816	4,509	98	190
रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली (गैर-ऋण)	83	212	691	1,644	823	631	623	1,258	98	48
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (ऋण)*	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765	9,500	5,000	3,251	0	142
वर्ष-वार वृद्धि दर (*प्रतिशत में*)										
स.रा.घ.उ.	11.32	11.86	10.04	8.93	7.39	(-)6.13	16.98	14.83	11.32	9.17
पूंजीगत प्राप्तियां	16.67	(-)17.90	36.11	74.20	23.54	186.26	(-) 26.13	(-) 61.84	(-) 97.83	93.88
रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	(-) 63.60	155.42	225.94	137.92	(-)49.94	(-) 23.33	(-)1.27	101.93	(-)92.21	(-)51.02
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	27.04	(-)24.32	12.38	51.10	65.45	99.37	(-) 47.37	(-) 34.98	परिभाषित नहीं	

कलर कोड: लाल छायांकन तनाव का प्रतीक है

स्रोत: वित्त लेखे

* *वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अपने स्रोतों से नहीं चुकाया जाना है।*

स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत प्राप्तियों को **चार्ट 1.16** में दर्शाया गया है।

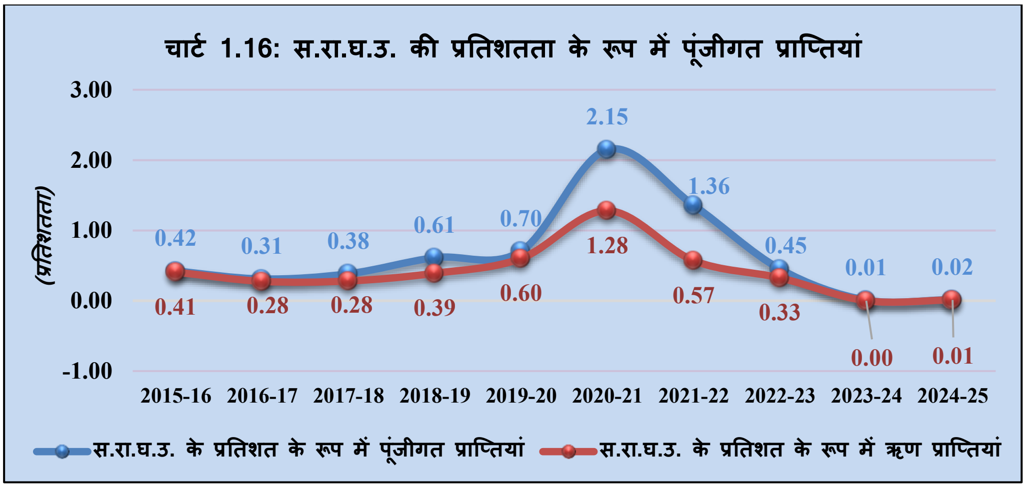

स्रोत: पूंजीगत और ऋण प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले दस वर्षों (2015-25) में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो उधारी पर घटती निर्भरता को दर्शाती है। दिल्ली की पूंजीगत प्राप्तियां लगभग पूरी तरह से भारत सरकार से प्राप्त ऋणों पर निर्भर हैं, क्योंकि रा.रा.क्षे. को आंतरिक ऋण जुटाने की अनुमति नहीं है। हाल के वर्षों में इस तरह के ऋणों में तीव्र गिरावट कम ऋण भार और भविष्य के ब्याज भुगतान में कमी को दर्शाती है, जो राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण है। दूसरी ओर, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली निराशाजनक रही है, जिसे कानूनी और संस्थागत सुधारों, बढ़ी हुई निगरानी और उधारकर्ता वित्तीय शिक्षा के माध्यम से सुधार करने की आवश्यकता है।

1.2.3 व्यय

सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिमों में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय में प्रशासनिक और स्थापना व्यय सहित विभागों के रखरखाव, मरम्मत और दिन-प्रतिदिन के कामकाज की लागत शामिल है। पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण और परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या परिवर्धन से संबंधित है। ऋण एवं अग्रिमों में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई निधि शामिल होती है, जिसकी समय के साथ वसूली की जा सकती है। व्यय, स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल व्यय और इसके घटकों के भागों का विवरण क्रमशः **तालिका 1.11**, **चार्ट 1.17** और **चार्ट 1.18** में दिया गया है।

तालिका 1.11: कुल व्यय और उसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (टीई)	33,750	35,609	39,245	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830	56,557
राजस्व व्यय (आरई)	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336	49,986
पूंजीगत व्यय (सीई)	4,723	3,754	3,243	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065	6,855	3,695
ऋण और अग्रिम	2,684	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639	2,876

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.17: स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल व्यय

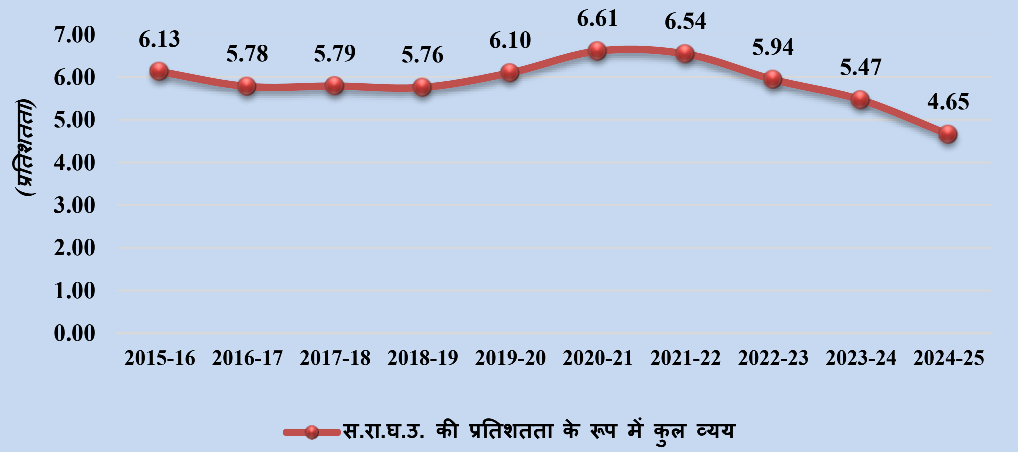

चार्ट 1.18: कुल व्यय में घटकों का हिस्सा

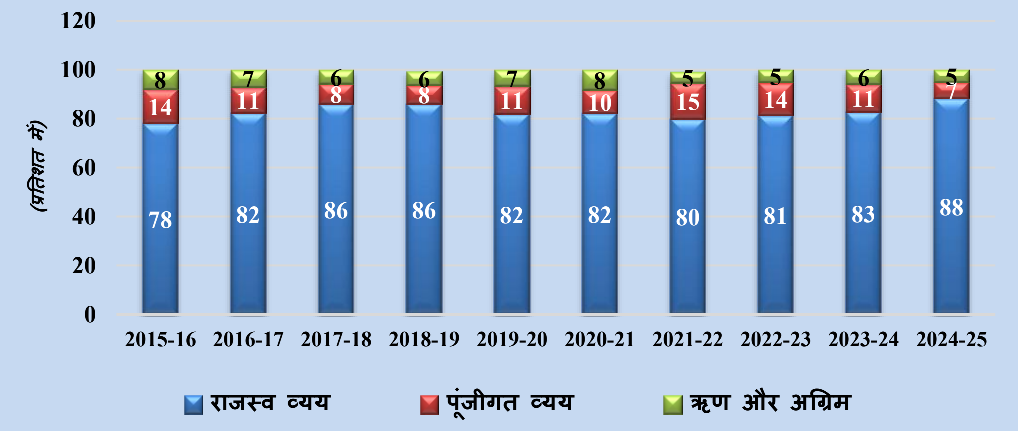

स्रोत: वित्त लेखे और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

तालिका 1.11 और **चार्ट 1.18** से पता चलता है कि अवसंरचना निर्माण की तुलना में राजस्व व्यय का प्रभुत्व रहा है। अवसंरचना परियोजनाओं में कम निवेश, दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने की

रा.रा.क्षे.दि.स. की क्षमता को बाधित करता है। यह उत्पादकता और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को भी प्रभावित करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ा सकती है।

इसके अतिरिक्त, **चार्ट 1.17** के अनुसार, 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. की तुलना में कुल व्यय की प्रतिशतता में लगातार गिरावट आई है, जो संभवतः आर्थिक मंदी, कोविड-19 महामारी और बढ़ते प्रतिबद्ध व्यय जैसे कई कारकों के संयोजन के कारण है। यद्यपि 2015-25 के दौरान स्वयं कर राजस्व प्राप्तियों में सुधार हआ है और ये ₹ 30,226 करोड़ से बढ़कर ₹ 59,458 करोड़ हो गया है, फिर भी ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन जैसे प्रतिबद्ध व्ययों में हुई वृद्धि ने रा.रा.क्षे.दि.स. की विकासात्मक और पूंजीगत व्यय बढ़ाने की क्षमता को सीमित कर दिया है। 2015-25 के दौरान, पूंजीगत व्यय ₹ 4,723 करोड़ से घटकर ₹ 3,695 करोड़ रह गया है।

क्षेत्र-वार कुल व्यय

व्यय का क्षेत्र-वार विवरण **तालिका 1.12** में दिया गया है और कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा **चार्ट 1.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: क्षेत्र-वार कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	6,804	6,940	7,424	7,785	7,472	6,541	7,327	7,948	7,631	7,826
सामाजिक सेवाएं	16,517	18,709	21,177	23,418	25,717	25,362	31,356	31,743	30,860	29,759
आर्थिक सेवाएं	6,786	6,386	7,302	6,550	8,041	10,298	12,203	12,297	13,481	10,336
सहायता अनुदान और अंशदान	959	1,021	1,094	2,365	3,879	2,912	3,468	4,323	5,219	5,760
ऋण एवं अग्रिम	2,684	2,553	2,247	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639	2,876

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.19: कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा (*प्रतिशत में*)

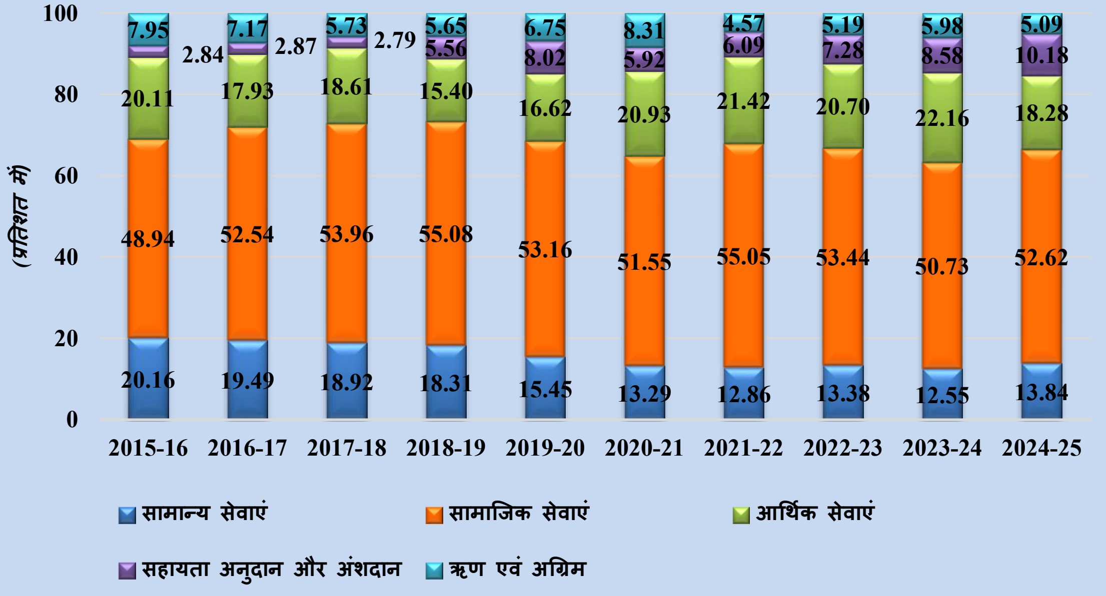

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 1.12 से पता चलता है कि दिल्ली के व्यय का स्वरूप अभी भी राजस्व व्यय से प्रभावित है, जो दर्शाता है कि संसाधनों का एक बड़ा भाग दैनंदिन प्रचालन, वेतन, सब्सिडी और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया जा रहा है। यद्यपि यह सेवा वितरण की निरंतरता सुनिश्चित करता है, लेकिन यह विवेकाधीन व्यय या विकासात्मक पहलों के लिए सीमित राजकोषीय स्थान छोड़ता है।

क्षेत्र-वार व्यय का स्वरूप **(चार्ट 1.19)** दर्शाता है कि सामाजिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय का 49 से 55 *प्रतिशत*) का प्रभाव बना हुआ है, जो इस बात को दर्शाता है कि सरकार का विशेष ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे कल्याणकारी और सामाजिक विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित है। यद्यपि सामाजिक कल्याण पर यह ध्यान उल्लेखनीय है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए संसाधन आबंटन को अनुकूलित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिससे दीर्घकालिक विकास को बाधित किए बिना ऋण दायित्वों और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं दोनों को पूरा किया जा सके।

तथापि, आर्थिक सेवाओं पर खर्च एक जैसा नहीं रहा है, जो अवसंरचना, उद्योग और रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों के लिए आवश्यक निरंतर समर्थन को

प्रभावित कर सकता है। सामान्य सेवाएं, जिनमें प्रशासनिक और ब्याज लागत शामिल हैं, भी संसाधनों के एक महत्वपूर्ण भाग का उपयोग कर रही हैं।

1.2.3.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई परिवर्धन नहीं होता है। राजस्व व्यय में वृद्धि, कुल व्यय में इसका अनुपात, स.रा.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियों को **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: राजस्व व्यय - आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (टीई)	33,750	35,609	39,245	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830	56,557
राजस्व व्यय (आरई)	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336	49,986
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में आरआई	75.27	85.31	87.29	85.48	84.09	96.54	93.37	76.94	88.62	80.32
टीई की प्रतिशतता के रूप में आरई	78.05	82.29	86.01	86.67	81.94	82.14	80.84	81.23	82.75	88.38
आरई/स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	4.78	4.76	4.98	4.99	5.00	5.43	5.29	4.82	4.52	4.11
वर्ष-वार वृद्धि (*प्रतिशत में*)										
राजस्व व्यय	12.05	11.23	15.19	9.18	7.56	1.96	13.93	4.78	4.33	(-)0.70
स.रा.घ.उ. वृद्धि	11.32	11.85	10.03	8.92	7.38	(-)6.13	16.98	14.83	11.32	9.17

कलर कोड: लाल छायांकन तनाव का प्रतीक है

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 1.13 से पता चलता है कि राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय 2015-2025 के दौरान 75.27 *प्रतिशत* से 96.54 *प्रतिशत* तक बढ़ा और उतार-चढ़ाव के साथ रहा, जिसका तात्पर्य है कि सरकार की स्वयं राजस्व आय से अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा।

क. क्षेत्र-वार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की क्षेत्र-वार संरचना **तालिका 1.14** में दी गई है और राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा **चार्ट 1.20** में दर्शाया गया है। विस्तृत क्षेत्र-वार व्यय **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.14: क्षेत्र-वार राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	6,427	6,590	7,196	7,605	7,083	6,295	6,953	7,323	7,162	7,567
सामाजिक सेवाएं	14,818	16,579	19,602	21,663	22,145	22,693	26,294	27,177	28,182	27,973
आर्थिक सेवाएं	4,139	5,112	5,862	5,219	6,530	8,514	9,328	9,423	9,773	8,686
सहायता अनुदान और अंशदान	959	1,021	1,094	2,365	3,879	2,912	3,468	4,323	5,219	5,760

स्रोत: वित्त लेखे

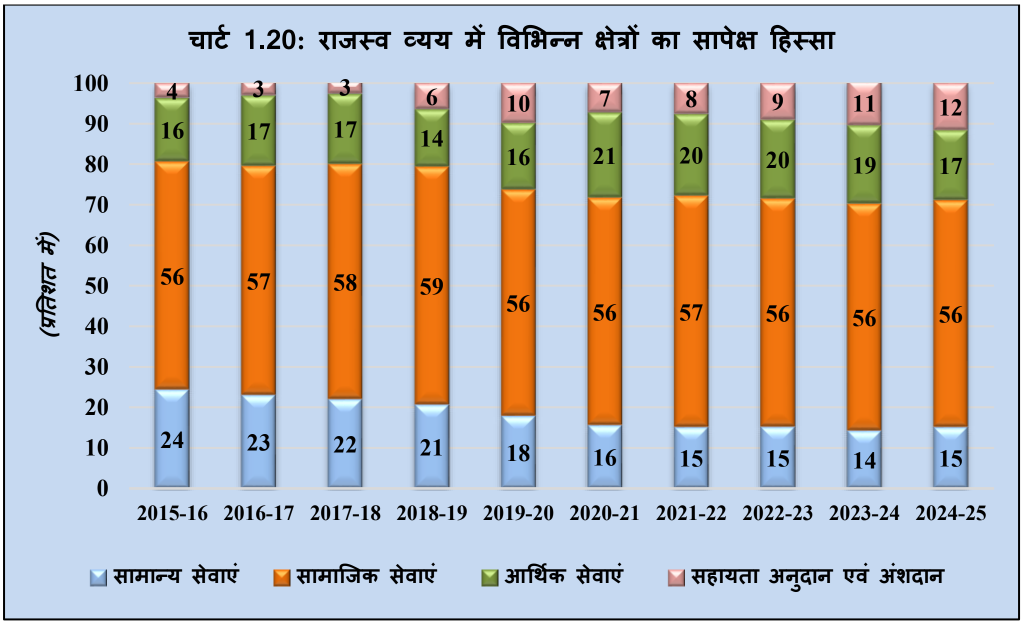

स्रोत: वित्त लेखे

सतत विकास में व्यय के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. नियमित और प्रशासनिक व्ययों को नियंत्रित करने, आर्थिक सेवाओं में निवेश को स्थिर करने और उत्पादकता, रोजगार और दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता को बढ़ाने वाले विकासोन्मुखी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर विचार कर सकती है।

ख. प्रतिबद्ध व्यय

रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल हैं। इसका पहला प्रभार सरकारी संसाधनों पर है। प्रतिबद्ध व्यय के घटक **तालिका 1.15** में दिए गए हैं।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वेतन एवं मजदूरी	6,251	7,515	9,090	10,325	11,070	11,810	12,878	14,215	15,018	15,727
पेंशन[4] पर व्यय	4	5	3	3	3	3	3	3	4	5
ब्याज भुगतान	2,810	2,883	2,871	2,867	2,752	2,874	3,274	3,266	3,094	2,666
कुल	**9,065**	**10,403**	**11,964**	**13,195**	**13,825**	**14,687**	**16,156**	**17,484**	**18,117**	**18,398**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	34.41	35.50	35.44	35.81	34.88	36.34	35.09	36.24	35.99	36.81

कलर कोड: रंग जितना गहरा होगा, वित्त पर उतना अधिक तनाव रहेगा

स्रोत: वित्त लेखे

2015-2025 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता 34.41 (2015-16) से 36.81 (2024-25) के बीच रही।

ग. सब्सिडी

चालू वर्ष के दौरान सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 250 करोड़ (5.17 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत सब्सिडी के लिए ₹ 361 करोड़, शहरी विकास (जल सब्सिडी) के लिए ₹ 22 करोड़ और शिक्षा सब्सिडी के लिए ₹ 38 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई थी।

वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 के लिए विभाग-वार प्रमुख सब्सिडी **तालिका 1.16** में दर्शाई गई है।

[4] रा.रा.क्षे.दि.स. की पेंशन देयताएं (दिल्ली के पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देयताओं को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा वहन की जाती हैं। वर्ष 2024-25 के लिए, यह देयताएं ₹ 2,241.45 करोड़ थीं।

तालिका 1.16: वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान विभाग-वार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	विद्युत विभाग	उ.न.	1,578 (73%)	1,677 (67%)	1,699 (67%)	2,406 (67%)	2,940 (70%)	3,250 (69%)	3,161 (68%)	3,250 (67%)	3,611 (71%)
2.	शिक्षा निदेशालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	219 (5%)	526 (11%)	543 (11%)	537 (11%)	575 (11%)
3.	शहरी विकास विभाग	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	468 (13%)	712 (17%)	602 (13%)	469 (10%)	463 (9%)	485 (9%)
4.	परिवहन विभाग	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	115 (3%)	305 (7%)	305 (6%)	456 (10%)	586 (12%)	416 (8%)
5.	अन्य विभाग*	उ.न.	582 (27%)	820 (33%)	834 (33%)	604 (17%)	1 (1%)	7 (1%)	4 (1%)	4 (1%)	3 (1%)
कुल सब्सिडी		**1,868**	**2,160**	**2,497**	**2,533**	**3,593**	**4,177**	**4,690**	**4,633**	**4,840**	**5,090**

उ.न.=उपलब्ध नहीं

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स.

**अन्य विभागों में शामिल हैं: समाज कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग*

चार्ट 1.21 (क): घटकों के हिस्से की प्रवृत्तियां *(₹ करोड़ में)*

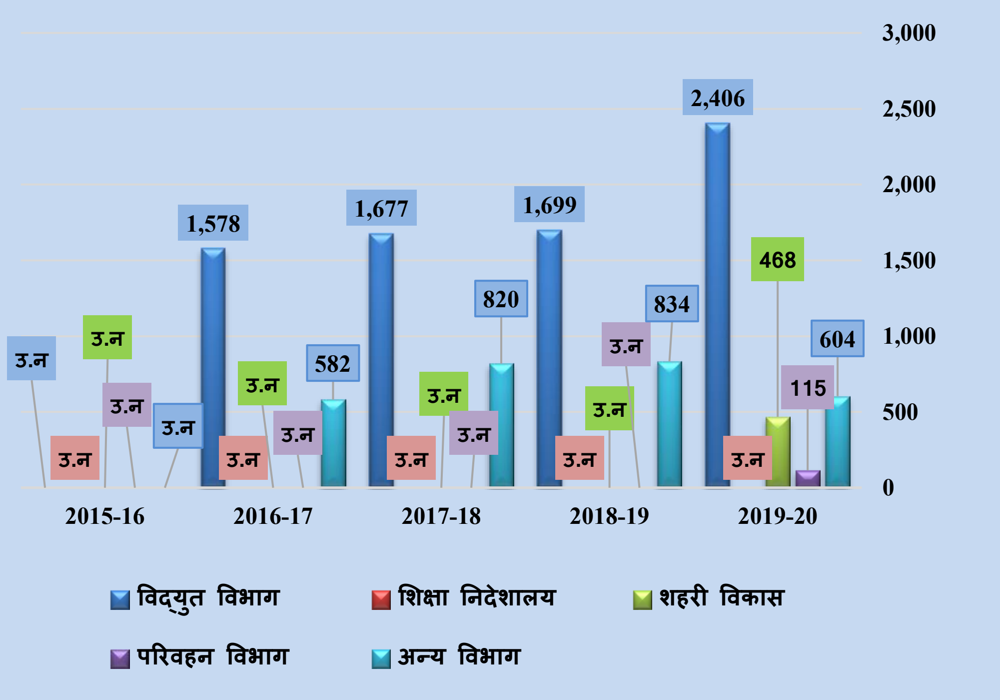

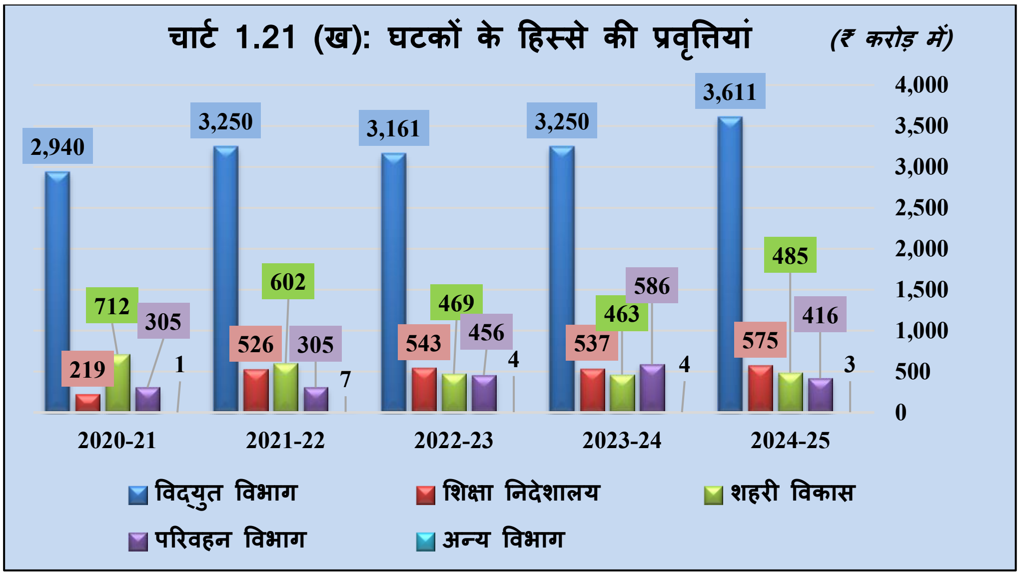

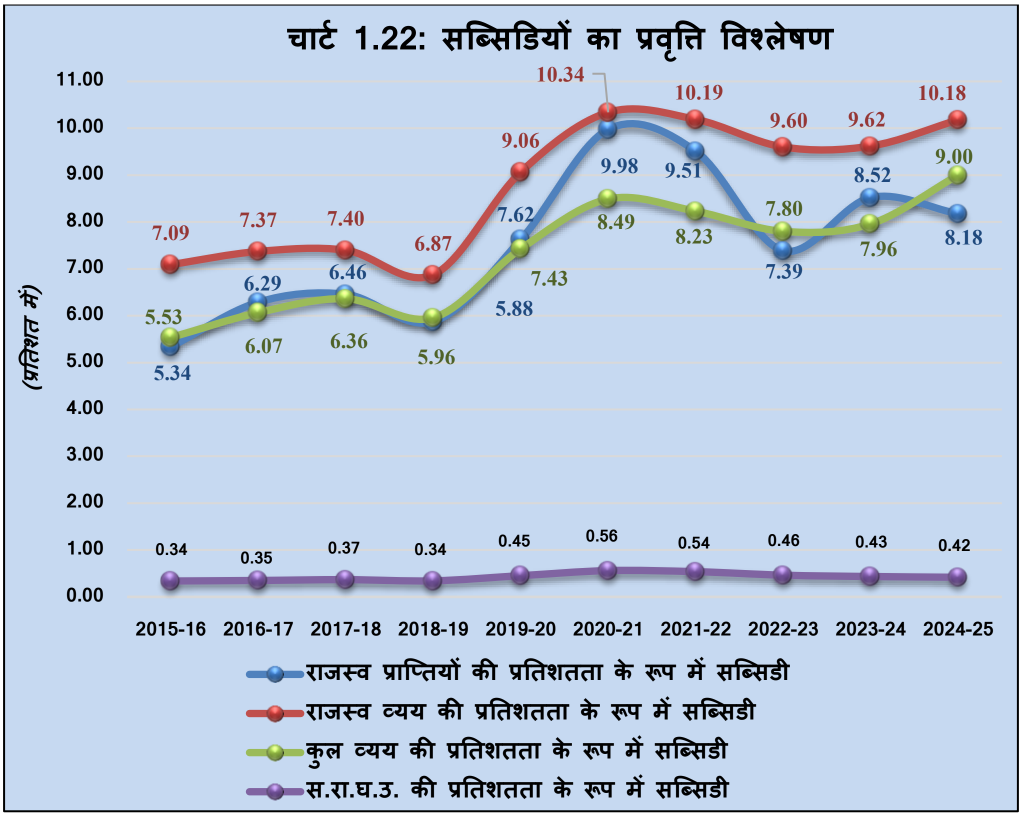

2024-25 में दिल्ली का सब्सिडी व्यय कुल राजस्व व्यय का 10.18 *प्रतिशत* था। विद्युत पर सब्सिडी कुल सब्सिडी व्यय का 67 से 73 *प्रतिशत* तक रहा जो सबसे अधिक था।

बढ़ती सब्सिडी राजकोषीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि अत्यधिक सब्सिडी व्यय महत्वपूर्ण विकास व्यय को कम कर सकता है और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक बजटीय संसाधनों पर तनाव डाल

सकता है। इस तरह की राजकोषीय बाधाएं अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को रोकती हैं, अंततः विकास उद्देश्यों में बाधा उत्पन्न होती है। बेहतर आकड़ों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का उपयोग करके लाभार्थियों की बेहतर पहचान और लक्ष्यीकरण यह सुनिश्चित कर सकता है कि सहायता उन लोगों तक पहुंच जाती है जिन्हें वास्तव में उसकी आवश्यकता है। सब्सिडी योजनाओं का नियमित मूल्यांकन, परिणाम-आधारित बजट और निष्पादन मेट्रिक्स को शामिल करने से व्यय को युक्तिसंगत बनाने, गैर-महत्वपूर्ण सब्सिडी को समाप्त करने और राजकोषीय क्षमता के अनुरूप सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।

घ. रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता

वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई सहायता **तालिका 1.17** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाएं	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(क) स्थानीय निकाय										
नगर निगम और नगर पालिकाएं	3,942	4,485	5,172	3,996	4,003	5,514	5,502	7,580	8,596	9,282
कुल (क)	**3,942**	**4,485**	**5,172**	**3,996**	**4,003**	**5,514**	**5,502**	**7,580**	**8,596**	**9,282**
(ख) अन्य										
दिल्ली जल बोर्ड	862	769	801	925	1,043	1,180	534	1,279	1,365	633
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)	1,150	1,550	2,007	1,825	2,030	2,475	2,320	2,350	2,900	2,620
डीयूएसआईबी	272	227	95	177	159	133	59	156	209	162
अन्य	1,985	1,858	2,006	3,399	3,499	3,251	5,100	3,777	3,977	3,752
कुल (ख)	**4,269**	**4,404**	**4,909**	**6,326**	**6,731**	**7,039**	**8,013**	**7,562**	**8,451**	**7,167**
कुल (क + ख)	**8,211**	**8,889**	**10,081**	**10,322**	**10,734**	**12,553**	**13,515**	**15,142**	**17,047**	**16,449**
नगर निगमों और नगर पालिकाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जीआईए	758	840	593	-	-	102	268	821	649	499

(₹ करोड़ में)

संस्थाएं	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कुल जीआईए	2,184	1,628	1,378	1,806	1,563	1,121	804	2,031	2,192	1,110
राजस्व व्यय	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336	49,986
कुल वित्तीय सहायता में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जीआईए की प्रतिशतता	26.60	18.32	13.67	17.50	11.15	8.93	5.95	13.41	12.86	6.75
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	31.17	30.34	29.87	28.01	27.08	31.06	29.35	31.38	33.87	32.91

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

चालू वर्ष के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 598.63 करोड़ (3.5 *प्रतिशत*) की कमी आई है। यह कमी मुख्य रूप से नगर निगमों और नगर पालिकाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए जीआईए में कमी (₹ 150 करोड़ या 23.11 *प्रतिशत* की गिरावट) के कारण हुई है। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की कुल मात्रा लगभग 27-34 *प्रतिशत* थी।

तालिका 1.17 से यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 6 से 27 *प्रतिशत* तक की बहुत कम वित्तीय सहायता दी गई थी, जो दर्शाता है कि 2015-2025 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं के दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए 73 से 94 *प्रतिशत* तक की बड़ी सहायता जा रही थी।

1.2.3.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया गया व्यय है। इसमें रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा

कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी शामिल हैं। पिछले दस वर्षों अर्थात 2015-25 में रा.रा.क्षे.दि.स. में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.23** में दिया गया है।

चार्ट 1.23: रा.रा.क्षे.दि.स. में पूंजीगत व्यय

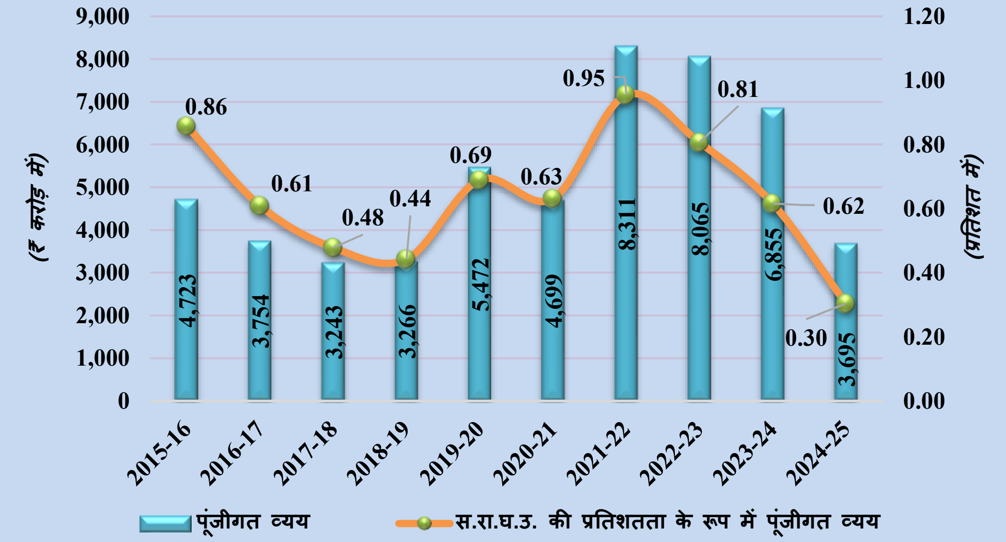

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2024-25 के दौरान ₹ 3,695 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. ने स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1,110 करोड़ भी हस्तांतरित किए।

इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि होने के बजाय गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो दीर्घकालिक परिसंपत्तियों और अवसंरचना में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश में कमी का संकेत देता है। वर्ष 2021-22 में यह ₹ 8,311 करोड़ था, जो धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,695 करोड़ हो गया। प्रारंभ में, 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 5,919 करोड़ का बजट अनुमान था, जिसे बाद में परिशोधित करके ₹ 4,857 करोड़ कर दिया गया। पूंजीगत व्यय में 2023-24 में ₹ 6,855 करोड़ से 2024-25 में ₹ 3,695 करोड़ की गिरावट आई इसका कारण विभिन्न शीर्षों, जैसे मुख्य शीर्ष 5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 2023-24 में ₹ 1,936.14 करोड़ से 2024-25 में ₹ 909.30 करोड़, मुख्य शीर्ष 5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 2023-24 में ₹ 1,065 करोड़ से 2024-25 में ₹ 467 करोड़;

मुख्य शीर्ष 4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति - सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 2023-24 में ₹ 637.43 करोड़ से 2024-25 में ₹ 263.97 करोड़ में कम व्यय होना था।

पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का समग्र हिस्सा घट रहा है, जो यह दर्शाता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने विकास उद्देश्यों के अनुरूप परिसंपत्ति निर्माण को लगातार प्राथमिकता नहीं दी है। इस स्वरूप का तात्पर्य अवसंरचना और विकास कार्यक्रमों में निरंतर निवेश के लिए सीमित राजकोषीय स्थान से है, जो संभावित रूप से दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सेवा वितरण को प्रभावित करता है।

सार्वजनिक निवेश की दक्षता बढ़ाने, स.रा.घ.उ. वृद्धि के साथ तालमेल सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए, पूंजीगत व्यय और सहायता अनुदान की योजना बनाने में, उन्हें समय पर जारी करने और निगरानी को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है।

क. क्षेत्र-वार पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय की क्षेत्र-वार संरचना **तालिका 1.18** में दी गई है। विस्तृत क्षेत्र-वार व्यय **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.18: क्षेत्र-वार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	377	350	228	180	389	246	374	625	469	259
सामाजिक सेवाएं	1,699	2,130	1,575	1,755	3,572	2,669	5,062	4,566	2,678	1,786
आर्थिक सेवाएं	2,647	1,274	1,440	1,331	1,511	1,784	2,875	2,874	3,708	1,650
ऋण और अग्रिम	2,684	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639	2,876

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.24: पूंजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा

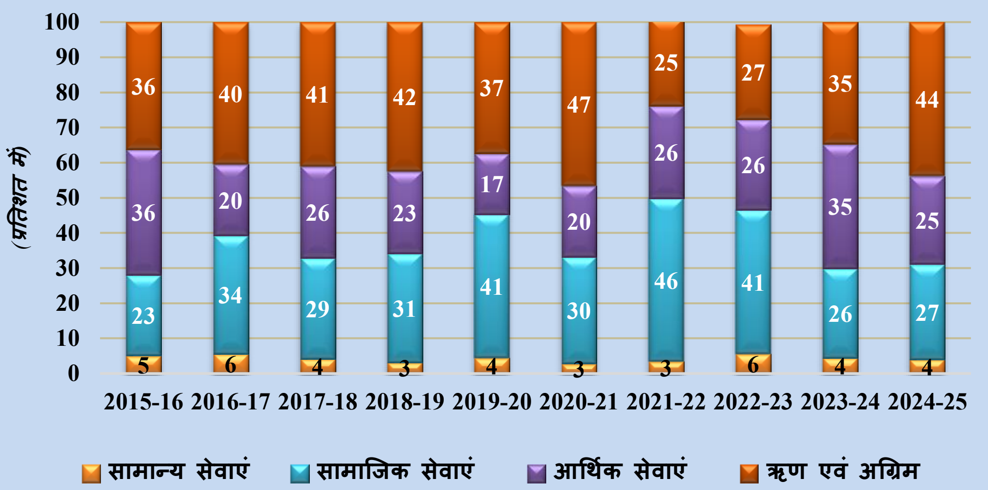

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 1.18 और **चार्ट 1.24** के अनुसार, पूंजीगत व्यय में सामाजिक सेवाओं का प्रभुत्व धीरे-धीरे कम हो गया है, जिससे आर्थिक सेवाओं में योगदान बढ़ाने और ऋणों एवं अग्रिमों के वितरण में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

ख. कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. का 16 कंपनियों और 02 निगमों में निवेश ₹ 21,810 करोड़ था, जिसमें सरकारी कंपनियां (₹ 21,778 करोड़) और निगम (₹ 32 करोड़) शामिल थे।

वर्ष के अंत में कंपनियों, निगमों और सहकारी बैंकों और समितियों में निवेशों की प्रवृत्ति, और इन निवेशों पर प्राप्त प्रतिफल को **चार्ट 1.25** में दर्शाया गया है। किए गए निवेश पर प्रतिफल की दर तथा सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर को **चार्ट 1.26** में दर्शाया गया है।

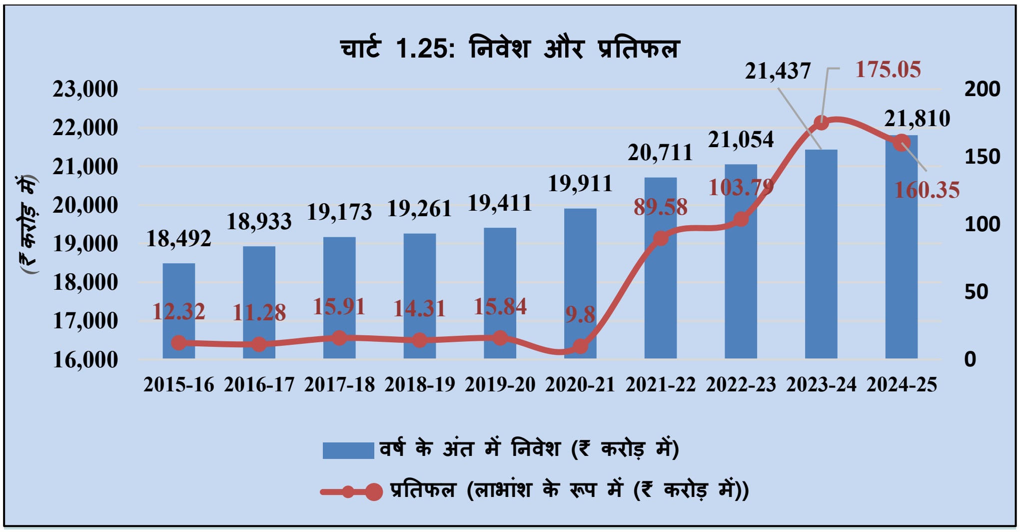

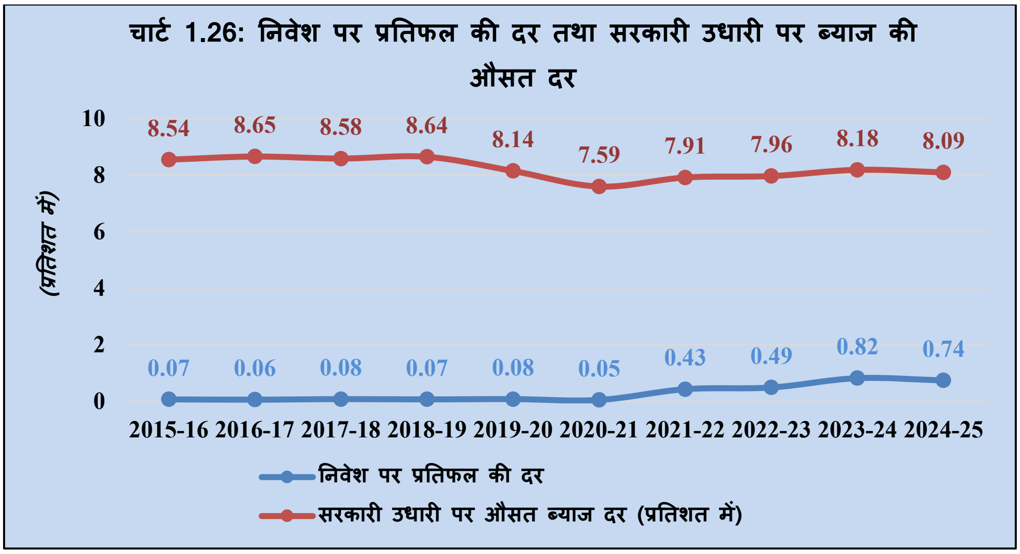

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.25 के अनुसार, सरकारी कंपनियों और निगमों में रा.रा.क्षे.दि.स. का निवेश ₹ 18,492 करोड़ (2015-16) से बढ़कर ₹ 21,810 करोड़ (2024-25) हो गया है, लेकिन प्रतिफल **(चार्ट 1.26)** नगण्य (1 *प्रतिशत* से कम) बना हुआ है, जो उधारी की 7.6-8.7 *प्रतिशत* लागत से बहुत कम है, जो लोक निधि के अकुशल उपयोग और राजकोषीय तनाव को दर्शाता है। कुछ ही संस्थाएं लाभांश की घोषणा करती हैं, जबकि बड़ी रकम निष्क्रिय या अलाभकारी इकाइयों में अवरुद्ध रहती है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप एक प्रभावी लाभांश नीति के अभाव और कमजोर विभागीय निगरानी के कारण, अनुपालन की स्थिति खराब है। रा.रा.क्षे.दि.स. को अलाभकारी संस्थाओं की लाभप्रदता की समीक्षा करने, विनिवेश पर विचार करने और प्रतिफल में सुधार और राजकोषीय भार को कम करने के लिए लाभांश घोषणाओं को लागू करने की आवश्यकता

है। यह पाया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 तक रा.रा.क्षे.दि.स. के तीन सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों (एसपीएसई) में ₹ 3,718.98 करोड़ का निवेश किया गया था। तीन एसपीएसई में से केवल दो एसपीएसई ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 103.06[5] करोड़ का प्रतिफल दिया, जो कुल निवेश का केवल 2.8 *प्रतिशत* था। तथापि, सरकार ने 8.09 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर पर निधि उधार ली थी।

लाभांश नीति और इसका प्रभाव

एक सुपरिभाषित लाभांश नीति वह है, जो लाभ कमाने वाले उद्यमों से न्यूनतम लाभ को अनिवार्य करती है, राज्य सरकार को एसपीएसई में किए गए निवेश से अपने प्रतिफल को अधिकतम करने में सक्षम बनाती है और एसपीएसई के वित्तीय निष्पादन की निगरानी को बेहतर बनाती है।

यह पाया गया कि दिल्ली सरकार ने दिनांक 17 अगस्त 2021 को कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एक लाभांश नीति परिचालित की है, जिसमें कर के बाद लाभ (पीएटी) के 30 *प्रतिशत* का न्यूनतम वार्षिक लाभांश या निवल मूल्य का 5 *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो, का भुगतान पीएसयू द्वारा किया जाना है। प्रशासनिक विभाग एसपीएसई के वितीय परिणामों का जायजा ले सकता है और लाभांश के भुगतान के लिए लाभांश नीति में निर्धारित नियमावली को लागू कर सकता है।

एसपीएसई के वार्षिक लेखाओं से पता चला है कि केवल 3 कंपनियों (डीएससीएससी, डीएसआईआईडीसी और डीटीटीडीसी) ने लाभांश का भुगतान किया था और यह मौजूदा नीति (पीएटी का 30 *प्रतिशत* या निवल मूल्य का 5 *प्रतिशत*) के अनुरूप होने का दावा किया गया था। तथापि, लेखाओं से यह पता नहीं लगाया जा सका है कि क्या उपर्युक्त नीति का वास्तव में मूल रूप से पालन किया गया था या नहीं।

भुगतान किए गए लाभांश की गणना के संबंध में जानकारी संबंधित कंपनियों से मांगी गई है और इसकी प्रतीक्षा है (फरवरी 2026)।

[5] सरकारी कंपनियां (₹ 103.06 करोड़)

लाभांश नीति और इसके प्रभाव से संबंधित अन्य संगत जानकारी भी रा.रा.क्षे.दि.स. से प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

ग. रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। **तालिका 1.19** में 31 मार्च 2025 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति और पिछले दस वर्षों (2015-2025) के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उधारियों पर प्राप्त ब्याज और किए गए ब्याज भुगतानों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.19: 2015-25 के दौरान वितरित और पुनर्प्राप्त ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	57,190	59,915*	62,255	63,812	64,570	67,014	70,473	72,454	74,280	77,821
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	2,684	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639	2,876
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	83	213	691	1,644	823	631	623	1,258	98	48
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	59,791	62,255	63,812	64,570	67,014	70,473	72,454	74,280	77,821	80,649
निवल परिवर्धन	2,601	2,340	1,557	758	2,443	3,459	1,981	1,826	3,541	2,828
प्राप्त ब्याज	83	81	396	113	404	464	336	46	339	120
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर *(प्रतिशत)*	0.14	0.13	0.62	0.18	0.60	0.66	0.46	0.06	0.44	0.15
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर *(प्रतिशत)*	8.54	8.65	8.58	8.64	8.14	7.59	7.91	7.96	8.18	8.09
प्राप्त ब्याज की दर और भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर *(प्रतिशत)*	(-)8.40	(-)8.52	(-)7.96	(-)8.46	(-)7.54	(-)6.93	(-)7.45	(-)7.90	(-)7.74	(-)7.94

स्रोत: वित्त लेखे

** ₹ 124 करोड़ का अंतर, गलत वर्गीकरण के कारण पूर्व अवधि में समायोजन के कारण है।*

विश्लेषण से पता चलता है कि जहाँ एक ओर दिल्ली सरकार द्वारा ऋण वितरण में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं ऋणों की वसूली न्यूनतम है; जिसके परिणामस्वरूप बकाया शेष राशि लगातार बढ़ती जा रही है। ब्याज प्राप्तियां बहुत कम रहती हैं और ऋणों पर मिलने वाला प्रभावी प्रतिफल उधार लेने की लागत से बहुत कम होता है, जिससे ऋणात्मक स्प्रैड में विस्तार और सरकारी खजाने को निरंतर घाटा हो रहा है। यह ऋण प्रस्तावों के खराब मूल्यांकन, कमज़ोर वसूली तंत्र और प्रशासनिक विभागों द्वारा निगरानी के अभाव को दर्शाता है।

1.3 आकस्मिकता निधि

रा.रा.क्षे.दि.स. की आकस्मिक निधि का उद्देश्य रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधानसभा द्वारा प्राधिकार प्राप्त होने तक, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करना है। विधानमंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय को मंजूरी देने के बाद निधि की वसूली की जाती है। इस निधि की कुल राशि ₹ 100 करोड़ है।

2024-25 के दौरान, विभिन्न बजटीय शीर्षों जैसे - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य (₹ 0.01 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 15.75 करोड़), पूंजीगत परिव्यय सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹ 31.08 करोड़), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹ 2.64 करोड़) और परिवार कल्याण (₹ 0.13 करोड़) के अंतर्गत इस निधि से कुल ₹ 49.61 करोड़ निकाले गए थे। तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹ 49.61 करोड़ की कुल राशि पूरी तरह से पुनःपूर्ति/पुनर्प्राप्त कर ली गई थी। 31 मार्च 2025 तक, आकस्मिकता निधि में ₹ 100 करोड़ की राशि शेष थी।

आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय के विवरण की चर्चा अध्याय-II के पैराग्राफ संख्या 2.8 में की गई है।

1.4 राजकोषीय संधारणीयता

राजकोषीय संधारणीयता एक सरकार की अपने राजस्व और व्यय को इस तरह से प्रबंधित करने की क्षमता है जो यह सुनिश्चित करती है कि वह अपने वर्तमान और भविष्य के दायित्वों जैसे लोक सेवाओं, अवसंरचना और ऋणों की चुकौती को अत्यधिक उधार लिए या अस्थिर ऋण जमा किए बिना पूरा कर सके। इसका तात्पर्य लंबी अवधि में राजस्व सृजन और व्यय के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना है।

चार्ट 1.27 और **चार्ट 1.28** वित्त वर्ष 2015-25 के दौरान स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में क्रमशः रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हैं।

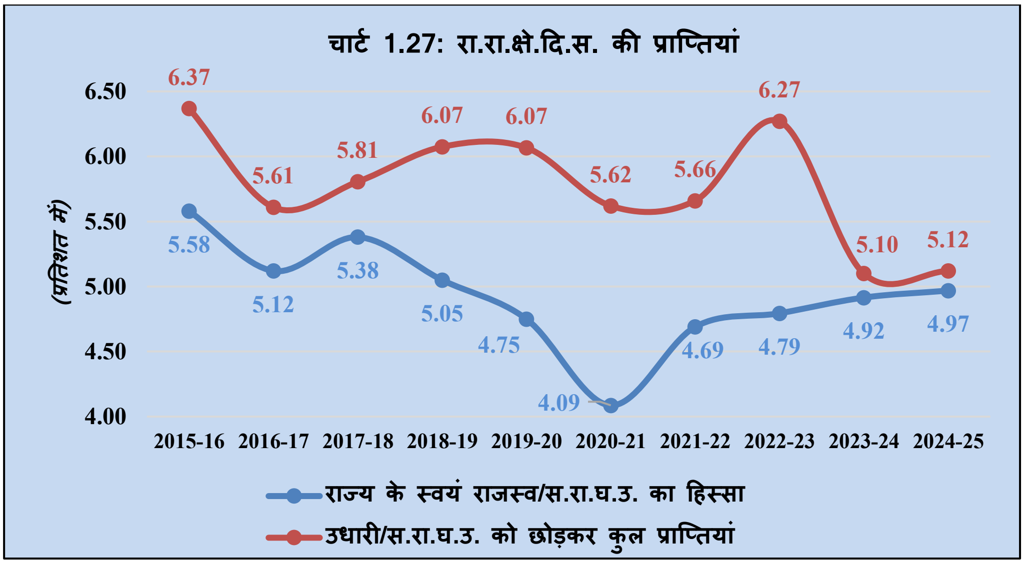

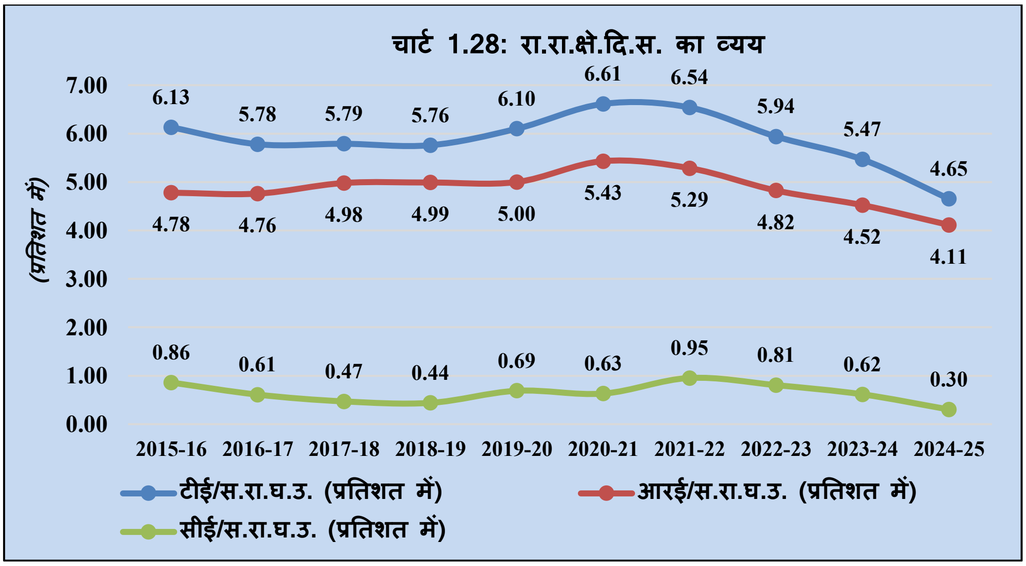

स्रोत: वित्त लेखे और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

1.4.1 लोक देयता प्रबंधन

2015-16 से 2024-25 की अवधि के लिए स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बकाया देयता को **चार्ट 1.29** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.29: बकाया लोक देयता और स.रा.घ.उ. के सापेक्ष उसकी प्रतिशतता

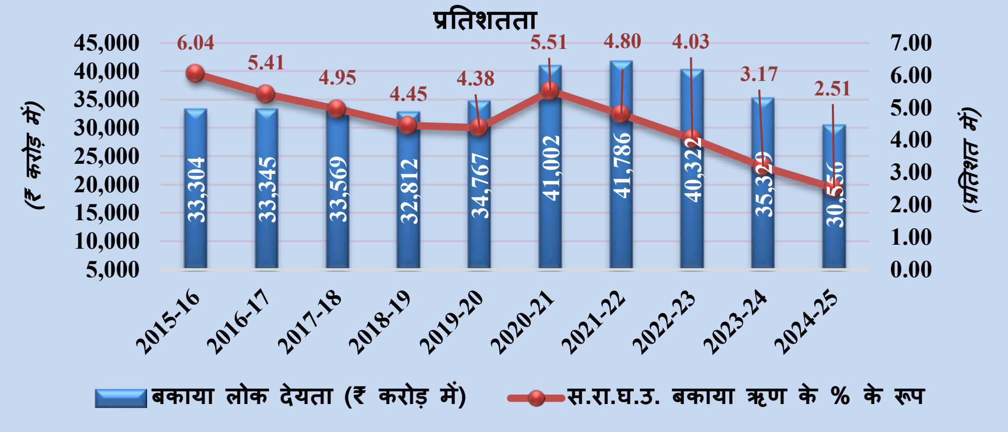

स्रोत: वित्त लेखे और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

1.4.1.1 देयता प्रोफाइल: घटक

रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल देयताएं आमतौर पर केवल केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों में होती हैं क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. को बाजार से ऋण लेने का अधिकार नहीं है। 2015-16 से शुरू होने वाले दस वर्षों की अवधि के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. की घटक-वार देयता प्रवृत्तियां **तालिका 1.20** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 1.20: घटक-वार देयता प्रवृत्तियां

राजकोषीय देयता के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भारत सरकार से प्राप्त ऋण* *(₹ करोड़ में)*	33,304	33,345	33,569	32,812	34,767	41,002	41,786	40,322	35,329	30,556
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) *(₹ लाख करोड़ में)*	5.51	6.16	6.78	7.38	7.93	7.44	8.71	10.00	11.13	12.15
उधारी										
वर्ष के दौरान कुल ऋण प्राप्तियां *(₹ करोड़ में)**	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765	9,500	5,000	3,251	0	142
वर्ष के दौरान कुल ऋण भुगतान (₹ करोड़ में)	1,435	1,655	1,682	3,636	2,811	3,265	4,215	4,715	4,994	4,914
उपलब्ध शुद्ध निधियां *(₹ करोड़ में)*	806	41	224	(-) 756	1,954	6,235	785	(-) 1,464	(-) 4,994	(-) 4,772
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां *(प्रतिशत)*	64.03	97.58	88.25	126.25	58.98	34.37	84.30	145.03	-	3,460.56

स्रोत: वित्त लेखे

**वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-25 के दौरान इसमें क्रमशः ₹ 5,865 करोड़, ₹ 6,193 करोड़ और ₹ 12,058 करोड़ शामिल नहीं हैं, ये राशि जीएसटी मुआवजे की कमी की भरपाई के लिए भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसका भुगतान राज्य सरकार को अपने स्वयं के स्रोतों से नहीं करना है।*

यद्यपि रा.रा.क्षे.दि.स. का आंतरिक ऋण *शून्य* है, रा.रा.क्षे.दि.स. की लोक लेखा देयताओं को केंद्रीय लेखाओं में विलय कर दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋण में 13.51 *प्रतिशत* की कमी आई है।

1.4.1.2 ऋण प्रोफ़ाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल ऋण चुकौती या ऋण अदायगी के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल को **चार्ट 1.30** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.30: ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल

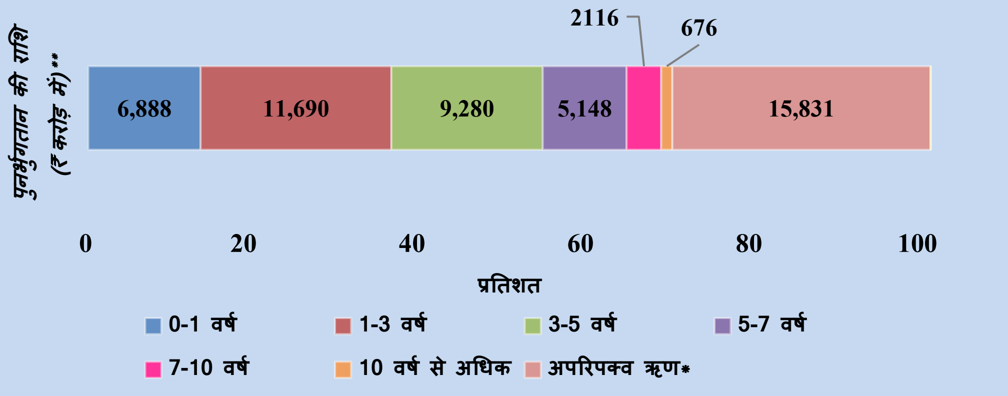

स्रोत: वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स.

**अपरिपक्व ऋणों में 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 12,058 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण, 2013-14 के दौरान डीईएसयू के बकाया के निपटान के लिए भारत सरकार से ₹ 3,326 करोड़ के ऋण और चंद्रावल में डब्ल्यूटीपी के पुनरूद्धार के लिए ₹ 447 करोड़ के ऋण (2018-19) शामिल हैं।*

***उपर्युक्त समय अंतराल के दौरान देय ₹ 9,016 करोड़ का कुल ब्याज शामिल है।*

1.4.2 राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न

तालिका 1.21 में 2015-25 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण पैटर्न को दर्शाया गया है।

तालिका 1.21: राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्त पोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-2+3)		**1,332**	**(-) 1,050**	**113**	**2,237**	**(-) 416**	**(-) 6,708**	**(-) 7,022**	**4,566**	**(-) 3,934**	**5,724**
1	राजस्व अधिशेष	8,656	5,044	4,913	6,261	7,499	1,450	3,270	14,457	6,462	12,247
2	शुद्ध पूंजीगत व्यय	4,723	3,754	3,243	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065	6,855	3,695
3	निवल ऋण और अग्रिम	(-) 2,601	(-) 2,340	(-) 1,557	(-) 758	(-) 2,443	(-) 3,459	(-) 1,981	(-) 1,826	(-) 3,541	(-) 2,828
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न											
1	भारत सरकार से प्राप्त निवल ऋण	806	41	224	(-)756	1,954	12,100	6,978	(-) 1,464	(-) 4,994	(-) 4,772
2	वृद्धि (-)/नकद शेष में कमी (+)	(-) 2,138	1,009	(-) 337	(-) 1,481	(-) 1,538	(-) 5,392	44	(-) 3,102	8,928	(-) 952
सकल राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-) (1+2)		**(-) 1,332**	**1,050**	**(-) 113**	**(-) 2,237**	**416**	**6,708**	**7,022**	**(-) 4,566**	**3,934**	**(-) 5,724**

स्रोत: वित्त लेखे

2015-25 की 10 वर्ष की अवधि के दौरान, राजकोषीय अधिशेष/घाटे में एक मिश्रित प्रवृत्ति देखने को मिली, जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने 5 वर्षों में राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. को पूरी तरह से भारत सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि उसे बाज़ार से ऋण लेने का अधिकार नहीं है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋण विशेष रूप से अधिक थे, जिसका कारण जीएसटी मुआवज़े में कमी की भरपाई के लिए क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋणों की प्राप्ति थी; यद्यपि इन ऋणों का पुनर्भुगतान रा.रा.क्षे.दि.स. को अपने स्वयं के स्रोतों से नहीं करना है।

1.4.3 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण **तालिका 1.22** में दिया गया है।

तालिका 1.22: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां

क्रम सं.	ऋण स्थिरता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	कुल देयता या कुल ऋण (₹ *करोड़ में*)*	41,002	41,786	40,322	35,329	30,556
2	कुल ऋण की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	17.93	1.91	(-)3.50	(-)12.38	(-)13.51
3	अंकित स.रा.घ.उ.[6] (*₹ लाख करोड़ में*)	7.44	8.71	10.00	11.13	12.15
4	अंकित स.रा.घ.उ. वृद्धि (*प्रतिशत*)	(-)6.13	16.98	14.83	11.32	9.17
5	कुल ऋण/स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	5.51	4.80	4.03	3.17	2.51
6	सकल उधारी का पुनर्भुगतान (*प्रतिशत*)	64.62	149.78	245.49	अनिश्चित	5,338.03
7	सकल उधारी की प्रतिशतता के रूप में उपलब्ध निवल उधारियां[#]	35.38	(-)49.78	(-)145.49		(-)5,238.03
8	कलु ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ *करोड़ में*)	2,874	3,274	3,266	3,094	2,666
9	कुल ऋण[7] पर ब्याज की प्रभावी दर (*प्रतिशत*)	7.59	7.91	7.96	8.18	8.09
10	राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान (*प्रतिशत*)	6.87	6.64	5.21	5.45	4.28
11	राजस्व घाटा(-)/अधिशेष(+)	1,450	3,270	14,457	6,462	12,247
12	प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) (₹ *करोड़ में*)	4,324	6,544	17,723	9,557	14,913
13	प्राथमिक शेष राशि (पीबी) (₹ *करोड़ में*)	(-)3,834	(-)3,747	7,832	(-)840	8,390
14	पीबी/स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	(-)0.52	(-)0.43	0.78	(-)0.08	0.69
15	आरओआई[8] और कुल ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर के बीच अंतर(*प्रतिशत*)	(-)6.93	(-)7.45	(-)7.90	(-)7.74	(-)7.94
16	परिनिर्धारण प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन साधनों का उपयोग) (कई अवसरों पर)	-	-	-	-	-
17	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड[9] + प्राथमिक शेष)	(-)9,459	43	10,604	269	8,719
18	**डोमर अंतराल**					
क	स.रा.घ.उ. (₹ लाख करोड़ में) (स्थिरांक में)	5.34	5.72	6.14	6.70	7.12
ख	वास्तविक वृद्धि (स्थिरांक में) (*प्रतिशत*)	(-)8.96	7.20	7.27	9.16	6.21
ग	सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (*प्रतिशत*)	3.03	5.97	4.00	2.55	2.40
घ	प्रभावी ब्याज दर(*प्रतिशत*)	7.59	7.91	7.96	8.18	8.09
ङ	ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर (ब्याज की प्रभावी दर-मुद्रास्फीति) (*प्रतिशत*)	4.56	1.94	3.96	5.63	5.69
च	वृद्धि ब्याज विभेदक (जीआईडी) (वास्तविक वृद्धि-ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर) (*प्रतिशत*)	(-)13.52	5.26	3.31	3.53	0.52

---

[6] **स.रा.घ.उ.**: 2020-21 और 2021-22 के लिए वास्तविक आंकड़े; 2022-23 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई), 2023-24 के लिए त्वरित अनुमान (क्यूई) और 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान (एई) **स.घ.उ.**: 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए वास्तविक आंकड़े; एफआरई: 2023-24 के लिए पहला परिशोधित अनुमान और पीई: 2024-25 के लिए अनंतिम अनुमान।

[7] कुल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर की गणना आरक्षित निधियों, ब्याज न देने वाली जमाराशियों और पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को 50 वर्ष की ब्याज मुक्त केंद्रीय सहायता को समायोजित करते हुए की गई है। प्रभावी ब्याज दर = भुगतान किया गया ब्याज/ऋण के स्टॉक को खोलने और बंद करने का औसत (ब्याज रहित देयताओं को छोड़कर) *100

[8] निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) जैसा कि ब्याज प्राप्तियों की प्रभावी दर द्वारा मापा जाता है। आरओआई = ब्याज प्राप्तियां/वितरित ऋणों और अग्रिमों के स्टॉक को खोलने और बंद करने का औसत *100

[9] क्वांटम स्प्रेड = ब्याज स्प्रेड x ऋण (ब्याज रहित देयताओं को छोड़कर)।

क्रम सं.	ऋण स्थिरता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
छ	प्राथमिक शेष राशि (पीबी) *(₹ करोड़ में)*	(-)3,834	(-)3,747	7,832	(-)840	8,390

स्रोत: वित्त लेखे

कलर कोड: रंग जितना गहरा होगा, वित्त पर तनाव उतना ही अधिक होगा

** बकाया लोक ऋण 6003-आंतरिक ऋण और 6004-केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है। 2020-21, 2021-22 और 2022-25 के दौरान, जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़, ₹ 6,193 करोड़ और ₹ 12,058 करोड़ (₹ 5,865 करोड़ + ₹ 6,193 करोड़) को शामिल नहीं किया गया, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से नहीं चुकाया जाना है।*

 # रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण प्राप्तियों पर लोक ऋण पुनर्भुगतान की अधिकता और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।

2020-21 से 2024-25 तक रा.रा.क्षे.दि.स. का ऋण प्रोफाइल महत्वपूर्ण राजकोषीय स्वास्थ्य और स्थिरता संकेतों को दर्शाता है।

(i) उधारियों की चुकौती के लिए उपयोग की गई लोक ऋण प्राप्तियों का अनुपात 2020-21 में 65 *प्रतिशत* से लेकर 2024-25 में 5,338 *प्रतिशत* तक रहा। वर्ष के दौरान शून्य ऋण प्राप्तियों के कारण, 2023-24 के दौरान उक्त अनुपात अपरिभाषित है।

(ii) स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल देयताओं के आधार पर मापा गया रा.रा.क्षे.दि.स. का औसत ऋण भार, 2020-25 के दौरान 4 *प्रतिशत* रहा। महामारी वर्ष (2020-21) को छोड़कर, 2020-21 से 2024-25 के दौरान केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की ऋण गतिशीलता अनुकूल रही, क्योंकि अंकित वृद्धि लगातार ब्याज दर से अधिक थी। इससे पता चलता है कि अंकित की वृद्धि प्रबल थी और उधारी की लागत से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष प्राथमिक शेष में विशेष रूप से सुधार हो रहा है। यह दर्शाता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण भार में 2020-21 के 5.51 *प्रतिशत* से 2024-25 में 2.51 *प्रतिशत* तक दर्ज की गई गिरावट का श्रेय ऋण की अनुकूल गतिशीलता को दिया जा सकता है।

(iii) डोमर मानदंड से पता चलता है कि 2021-22 में एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के बाद वास्तविक रूप से जीआईडी, 2023-24 के अपवाद को छोड़कर आर्थिक विकास में लगातार मंदी, साथ ही

2022-23 से उधारी की वास्तविक लागत में लगातार वृद्धि के कारण जीआईडी को उसके बाद से गिरावट की प्रवृत्ति देखने के लिए मजबूर किया।

(iv) राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2020-21 के 6.87 *प्रतिशत* से घटकर 2024-25 में 4.28 *प्रतिशत* हो गई है, जो ब्याज व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में तेज़ी से वृद्धि और बेहतर ऋण प्रबंधन नीतियों का संकेत है, जिससे राजकोषीय संधारणीयता में सुधार हुआ है।

दिल्ली की ऋण स्थिति राजकोषीय तनाव का कम जोखिम, नियमबद्ध उधारी और अनुकूल स्थिरता संकेतकों को दर्शाती है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण मुख्य रूप से पुनर्भुगतान द्वारा अवशोषित होने के स्थान पर विकास बढ़ाने वाले निवेश का समर्थन करते हैं, इसके लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसलिए, संभावित वृद्धि को गति देने और उसे प्राप्त करने के लिए भौतिक और मानव पूंजी निर्माण में निरंतर निवेश व्यय हेतु, अधिक संसाधन उपलब्ध कराने में, रा.रा.क्षे.दि.स. को अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त कर संसाधन मुख्य रूप से बेहतर कर संग्रह और गैर-कर राजस्व बढ़ाने के अन्य उपायों के साथ-साथ अनुपालन बढ़ाने के लिए प्रवर्तन को मजबूत करने से आने चाहिए। सतत और स्थिर विकास उपायों के साथ-साथ अतिरिक्त संसाधन जुटाने से स्वयं कर-स.रा.घ.उ. अनुपात और स्वयं गैर-कर-स.रा.घ.उ. अनुपात में वृद्धि होती है।

1.4.4 राजकोषीय स्थिरता के मार्ग

राजस्व बढ़ाकर और व्यय को युक्तिसंगत बनाकर घाटे में सुधार किया जा सकता है। इसमें कर अनुपालन को मजबूत करना, कर आधार का विस्तार करना, उपयोगकर्ता शुल्क को परिशोधित करना और निष्क्रिय सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना शामिल है। व्यय के पक्ष में, सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण, वेतन और पेंशन वृद्धि को नियंत्रित करना और व्यय का

उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजी निवेश को प्राथमिकता देने और पारदर्शी और कुशल उधारी के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करने से राजकोषीय तनाव को और कम किया जा सकता है। ये उपाय सामूहिक रूप से राजकोषीय स्थान बनाते हैं और राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे को स्थायी तरीके से कम करने में मदद करते हैं। इन पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

1.4.5 रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व में सुधार

राजस्व की वह अप्रयुक्त क्षमता, जिसका यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, तो उससे राजकोषीय क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और ऋण पर निर्भरता कम हो सकती है। राज्य जीएसटी, स्टाम्प शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख कर स्रोतों के मूल्यांकन में कमियां, अवमूल्यांकन और सीमित प्रवर्तन तंत्र से राजस्व वृद्धि में कमी आएगी। कम उपयोगकर्ता शुल्क के साथ कम वसूले गए गैर-कर राजस्व, खराब लागत वसूली और सार्वजनिक परिसंपत्तियों और निवेशों पर कम प्रतिफल भी राजकोषीय क्षेत्र को सीमित करते हैं। लंबित बकायों की समय पर वसूली (कर और गैर-कर), राजकोषीय क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।

क. राजस्व का बकाया

31 मार्च 2025 तक, राजस्व के प्रधान शीर्षों के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि में प्राप्त होने वाले राजस्व का बकाया ₹ 2,56,845.67 करोड़ था, जिसमें से ₹ 57,331.13 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 1.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.23: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि	31 मार्च 2025 तक पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया राशि
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मू.व. कर	80,498.16	57,331.13
2.	वस्तु एवं सेवा कर	1,76,347.51	-
3.	वन और वन्य जीव	फरवरी 2026 तक विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।	
4.	राज्य उत्पाद शुल्क		
5.	वाहनों पर कर		

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि	31 मार्च 2025 तक पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया राशि
6.	भू-राजस्व		
7.	स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क		
कुल		**2,56,845.67**	**57,331.13**

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

ख. निर्धारण की बकाया राशि

वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या, निर्धारण के लिए अपेक्षित मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामलों की संख्या के संबंध में जानकारी, जैसा कि बिक्री कर/वैट के संबंध में व्यापार और कर विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई है, **तालिका 1.24** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.24: निर्धारण की बकाया राशि

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2024-25 के प्रारंभ में लंबित मामले	2024-25 के दौरान निर्धारण के लिए अपेक्षित नए मामले	निर्धारण के लिए अपेक्षित कुल मामले	2024-25 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष राशि	निपटान की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मू.व. कर	0	12,483	12,483	12,483	0	100

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

ग. विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन, प्रतिदाय मामले, आदि का विवरण

कर अपवंचन के संज्ञान में आए मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांग रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान व्यापार और कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और अतिरिक्त कर की मांग का विवरण, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा बताया गया है, **तालिका 1.25** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.25: कर अपवंचन के मामले

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 की अनुसार तक लंबित मामले	2024-25 के दौरान सामने आए मामले	कुल	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हो गई है और जुर्माना, आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई है		31 मार्च 2025 तक अंतिम निर्णय के लिए लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि *(₹ करोड़ में)*	
1.	वस्तु एवं सेवा कर	25	39	64	20	13.67	44
कुल		**25**	**39**	**64**	**20**	**13.67**	

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

1.4.6 व्यय पक्ष से संबंधित मुद्दे

क. प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी से राजकोषीय तनाव

चार्ट 1.31 और **चार्ट 1.32** क्रमशः वित्त वर्ष 2015-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी को एक साथ दर्शाते हैं।

चार्ट 1.31: राजस्व प्राप्तियों (आरआर) की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी

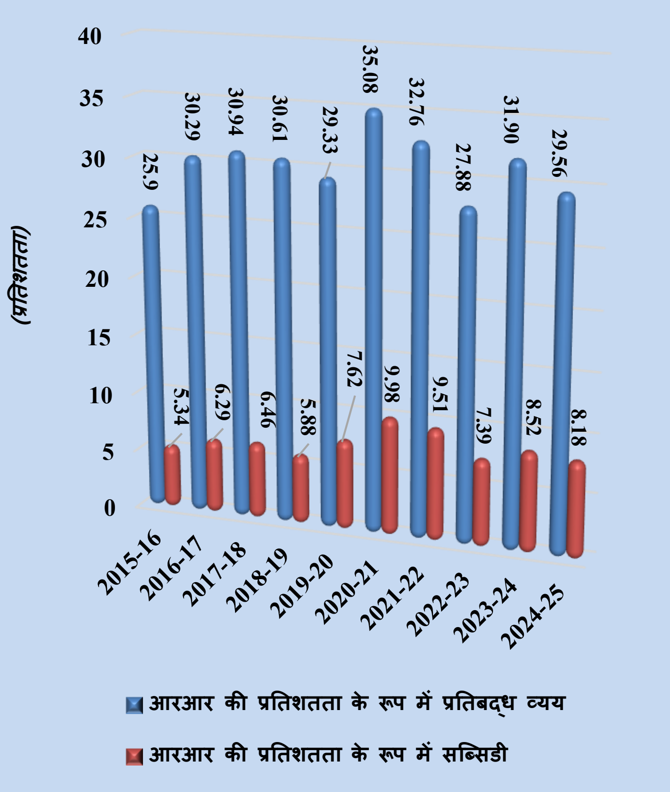

चार्ट 1.32: राजस्व व्यय (आरई) की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी

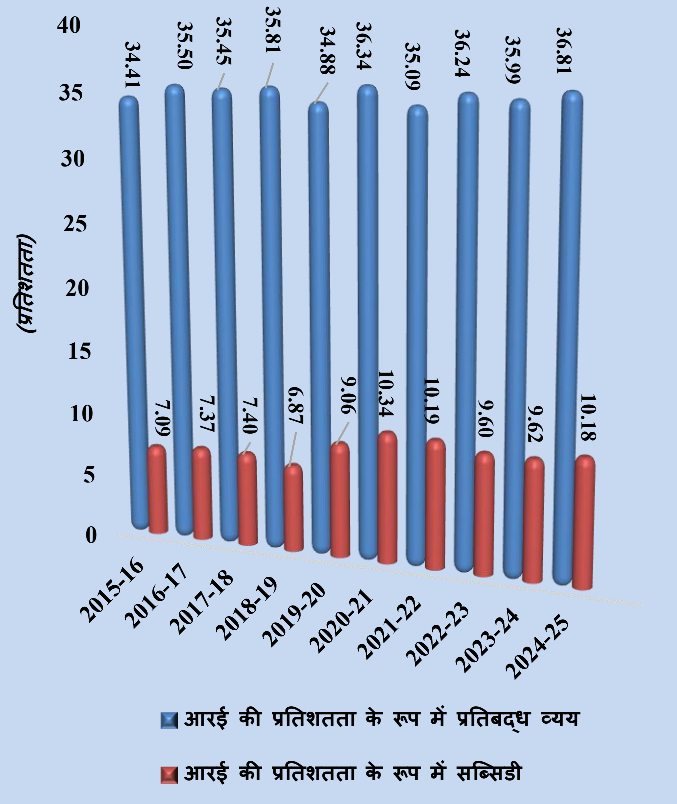

वर्ष 2024-25 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के ₹ 18,398 करोड़ का प्रतिबद्ध व्यय, जिसमें वेतन और मजदूरी, भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत (₹ 15,727 करोड़), पूर्व

विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन (₹ 4.70 करोड़), और ब्याज भुगतान (₹ 2,666 करोड़) शामिल हैं, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 29.56 *प्रतिशत* रहा। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी की राशि ₹ 5,090 करोड़ थी, जिससे कुल अपरिवर्तनीय व्यय ₹ 23,488 करोड़ हो गया, जो रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 37.74 *प्रतिशत* था। इस तरह के व्यय की उच्च और अपरिवर्तनीय प्रकृति राजकोषीय स्थान को उल्लेखनीय रूप से कम कर देती है, जिससे पूंजी निवेश और विकासात्मक प्राथमिकताओं के लिए संसाधन आबंटित को आबंटित करने की राज्य की क्षमता सीमित हो जाती है। यह संरचनात्मक असंतुलन लगातार राजस्व और प्राथमिक घाटे के जोखिम को बढ़ाता है, दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को बाधित करता है और आकस्मिक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की सरकार की क्षमता को कम करता है।

राजकोषीय लचीलापन बढ़ाने और एक संधारणीय राजकोषीय मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी के युक्तीकरण, बेहतर लक्ष्यीकरण और विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से व्यय सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

1.5 निष्कर्ष

- 2024-25 के दौरान स.रा.घ.उ. के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. की स्वयं राजस्व उत्प्लावकता एक से अधिक थी, जो दर्शाता है कि स.रा.घ.उ. में उल्लेखनीय 9.17 *प्रतिशत* की वृद्धि रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं राजस्व जुटाव में आनुपातिक वृद्धि में परिणत हुई।

  2024-25 के दौरान, अधिकतम राजस्व अधिशेष के मामले में रा.रा.क्षे.दि., चौथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2020-25 के दौरान लगातार राजस्व अधिशेष दर्ज किया, जो ₹ 1,450 करोड़ से ₹ 14,457 करोड़ तक था और इस अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 0.19 से 1.45 के बीच था। इसके अतिरिक्त, 2024-25 के दौरान पुदुचेरी के अलावा रा.रा.क्षे.दि.स. एकमात्र ऐसा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश था, जिसने ₹ 5,724 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.47 *प्रतिशत*) का राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया था। तथापि, यह उल्लेख करना उचित है कि यद्यपि रा.रा.क्षे.दि.स. को केंद्रीय कर में कोई

हिस्सा नहीं मिलता है, परंतु वर्ष 2024-25 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. की ₹ 2,241.45 करोड़ की पेंशन देयताओं (दिल्ली के पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देयताओं को छोड़कर) और दिल्ली पुलिस के कारण होने वाले ₹ 11,595.91 करोड़ के व्यय को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।

- 2015-16 और 2024-25 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 26,343 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 4.78 *प्रतिशत*) से बढ़कर ₹ 49,986 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 4.11 *प्रतिशत)* हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग (78 से 88 *प्रतिशत*) था, जो 6.61 *प्रतिशत* की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा था।

- राजस्व व्यय के अंतर्गत, 2015-25 की अवधि के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय की राशि, राजस्व व्यय की 34-37 *प्रतिशत* थी। उस अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में 7.33 *प्रतिशत* की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुई।

- सब्सिडी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो 2015-16 के ₹ 1,868 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 5,090 करोड़ हो गई, जो 2015-25 के दौरान कुल राजस्व व्यय के 6.87 *प्रतिशत* से 10.34 *प्रतिशत* तक थी। इस अवधि के दौरान विद्युत सब्सिडी, कुल सब्सिडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो 67 *प्रतिशत* से 73 *प्रतिशत* तक थी।

- स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय काफी कम था और यह 2015-25 के दौरान 0.30 से 0.95 के बीच था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2024-25 के दौरान पूंजीगत कार्यों पर केवल ₹ 3,695 करोड़ खर्च किए, जो कुल व्यय का 6.53 *प्रतिशत* था।

- राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान का अनुपात 2015-16 के 8.03 से काफ़ी 2024-25 में 4.28 हो गया, जो एक संधारणीय ऋण प्रक्षेपवक्र का संकेत देता है।

1.6 सिफारिशें

सरकार को चाहिए कि:

(i) वह कर अनुपालन में सुधार करके, संपत्ति मूल्यांकन प्रणालियों को अद्यतन करके और विशेष रूप से लाभांश और ब्याज प्राप्तियों आदि के लिए एक स्पष्ट गैर-कर राजस्व नीति लागू करके राजस्व जुटाने की प्रक्रिया को मज़बूत करें।

(ii) वह अवसंरचना क्षेत्रों के लिए आबंटन को बढ़ाकर, व्यय के गलत वर्गीकरण से बचकर और पूंजीगत परिव्यय का आर्थिक विकास के साथ तालमेल को सुनिश्चित करके पूंजीगत व्यय को उसकी गुणवत्ता और प्राथमिकता के साथ बढ़ाएं।